विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरमः– 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2–ब्रह्म पाल, सदस्य (तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–65/2026
पंजीकरण तिथिः–30.05.2026
निर्णय की तिथिः–08.09.2026

क्रिया राठी पत्नी ध्रुव राठी, परिवादी
पता–एल–163, गुलशन विवांते,
सेक्टर–137 नोएड़ा, उत्तर प्रदेश,

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
नैनीताल

निर्णय

1. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है।

(1) The present complaint is being preferred under Section 42(5) of the Electricity Act, 2003 before this Hon'ble Forum against Uttarakhand Power Corporation Limited, hereinafter referred to as the Opposite Party, on account of grossly arbitrary, excessive and manifestly erroneous electricity bills raised in respect of electricity connection bearing No. 597MR02087605, Account bearing No. 40114443044 and Meter No. 1845615, installed at a residential cottage identified as the Oak-6, Swiss Village, situated at Village Satbunga, Mukteshwar, District Nainital.

(2) At the outset, it is submitted that the said property is a purely residential cottage, used only intermittently during vacation periods and otherwise remains unoccupied. Consequently, the electricity consumption has historically remained minimal and consistent, with monthly bills ordinarily ranging between 2500/- to ₹700/-, which is also in consonance with similarly situated neighbouring properties.

(3) It is further submitted that even in the recent past, the billing pattern reflected normal consumption, including a bill of ₹6,973/- in March 2024 (inclusive of previous dues) and ₹2,315/- in July 2024 after clearance of outstanding amounts.

(4) However, in a shocking and wholly unexplained deviation, the Opposite Party raised an exorbitant electricity bill of approximately ₹4,60,000/- for the month of January 2025. The same was followed by another bill for the month of February 2025 for an amount of 4,66,622. The exorbitant bills were followed by the issuance of a demand notice dated 06.07.2025 for a sum of ₹4,85,988/-, without any corresponding increase in consumption, change in load, or any inspection or verification. The copies of some of the electricity bills raised upon the complainant are annexed along with the instant complaint as **Annexure-A1 (Colly)**. The copy of the electricity bill raised upon a similarly positioned property in the neighbourhood belonging to one Mrs. Malika Singh for the month of June 2024 for an amount of Rs. 526 is appended along and marked for the perusal of this Hon'ble Forum as **Annexure-A2**. The copy of the demand letter dated July 06, 2025 is annexed along with the instant complaint as **Annexure-A3.**

(5) The said demand is ex facie arbitrary, unreasonable and devoid of any nexus with actual consumption. The sanctioned load of the connection is merely 5 kW, and even under the most extreme conditions, such billing is not feasible, clearly pointing towards a defect in the meter, billing system, or wrongful attribution of consumption.

(6) It is pertinent to submit that upon receipt of the said inflated bill, the complainant immediately raised a detailed written representation dated 27.07.2025 before the UERC and the UPCL (the Opposite party), highlighting the discrepancy and requesting immediate rectification. However, no effective action has been taken till date. No inspection of the premises has been conducted, nor has the meter been tested, nor has any justification been provided. The copy of the representation/e-mail dated July 27 is marked for the perusal of this Hon'ble Forum as **Annexure A-4.** The proof of physical delivery upon the Opposite party is appended along with the instant complaint as **Annexure A-5.**

(7) It is further submitted that prior to and subsequent to the said written representation, the husband of the Complainant had personally visited the office of the Opposite Party, where the concerned officials acknowledged the anomaly in billing and assured that the issue would be examined and rectified. However, despite such assurances, no corrective action has been taken till date. No inspection of the premises has been conducted, nor has the meter been tested, nor has any explanation been furnished for such abnormal billing.

(8) It is also pertinent to mention that the electricity connection presently stands in the name of Vivek Ahluwalia, being the previous owner, however, the property has

since been transferred and is presently co-owned by the complainant ever since the year 2016, which fact has already been brought to the notice of the Opposite Party. The copy of the sale deed in favour of the complainant as one of the Joint owners is appended for the perusal of this Hon'ble Forum as ***Annexure A-6.***

(9) While the Opposite party did not issue and clarity in respect of the inflated demand, the UERC, vide a communication dated 29.08.2025 advised the complainants to approach this Hon'ble Forum for redressal of their grievance. The copy of the response received is annexed as **Annexure A-7.**

(10) That it is also worthy to bring to the attention of this Hon'ble Forum that sometimes in the month of January-February 2026 the opposite party has disconnected the supply of electricity to the property in question.

(11) The conduct of the Opposite Party in raising such an exorbitant and unsubstantiated demand, and thereafter failing to address the grievance despite formal representation, clearly amounts to deficiency in service, arbitrariness, and failure to discharge statutory obligations under the Electricity Act, 2003.

(12) That the complainant has not approached any other forum by way of any other complaint in respect of the subject matter of the instant complaint.

In view of the above, it is most respectfully prayed that this Hon'ble Forum may kindly:

(1) Direct the Opposite Party to restore the electricity supply to the cottage of the complainant i.e. property bearing no. Oak-6, Swiss Village, Village Satbunga, Mukteshwar, District Nainital

(2) Set aside and quash the impugned electricity bills and demand notice raised by the Opposite Party;

(3) Direct the Opposite Party to revise the bill strictly in accordance with actual consumption and past average usage;

(4) Direct inspection of the premises and independent testing of the meter;

(5) Restrain the Opposite Party from taking any coercive steps, including recovery proceedings, during pendency of the present complaint;

(6) Pass such other order(s) as may be deemed fit and proper in the facts and circumstances of the case.

INTERIM PRAYER: Pending disposal of the present complaint, it is further prayed that the operation of the impugned demand be stayed and uninterrupted electricity supply be maintained to the cottage of the complainant.

2. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया है कि उपभोक्ता श्रीमती दिव्या राठी, नौ डा, उ०प्र० (संयोजन सख्या **597MR02087605**) द्वारा अत्यधिक विद्युत बिल दिये जाने से सम्बन्धित शिकायत की गयी है। उक्त कम में मा० मंच को निम्न बिन्दुओं से अवगत कराना है:–

(1) उपभोक्ता को संयोजन सख्या **597MR02087605** में विद्युत मापक में प्रदर्शित रीडिंग के सापेक्ष ही बिल निर्गत किये गये हैं।

(2) मापक की एम०आर०आई० रिर्पोट के अनुसार माह 12/2023 में रीडिंग 67629.56 **KWH** यूनिट पायी गयी है। वर्तमान में भी एम०आर०आई० रिर्पोट के अनुसार ही विद्युत बिल निर्गत किये गये हैं।

(3) उपभोक्ता को पूर्व के विद्युत बिलों में संबंधित बिलिंग कार्यदायी संस्था द्वारा मापक की वास्तविक रीडिंग न भरे जाने के कारण माह 02/2025 में सम्पूर्ण रीडिंग एक मुस्त भरे जाने के कारण अत्यधिक धनराशि का बिल निर्गत किया गया है। सम्पूर्ण रीडिंग एक मुस्त भरे जाने के कारण डम्प/स्टोर रीडिंग का प्रकरण प्रतीत होता है।

(4) विद्युत संयोजन के अस्थाई विच्छेदन के क्रम में अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष में राजस्व वसूली के तहत विद्युत बिल का भुगतान न किये जाने के कारण उपभोक्ता का संयोजन अस्थाई रुप से दि० 16.02.2026 को विच्छेदित किया गया था।

(5) उपभोक्ता के मापक की सम्पूर्ण एम०आर०आई० रिर्पोट मा० मंच के अवलोकन एवं आवश्यक दिशानिर्देश हेतु प्रेषित।

3. परिवादी द्वारा अपनी आपत्ति पत्र में कहा गया है:– The Complainant respectfully submits the following rejoinder to the reply filed by the Respondents:

(1) At the outset, it is submitted that the reply filed by the Respondents fails to answer the principal issue raised in the complaint, namely, the legal and factual basis of the impugned demand of ₹4,60,168/-. The entire defence rests upon two assertions alone, namely, that the billing agency failed to feed the actual meter readings and that the MRI reflected the correct cumulative reading. Beyond these bald assertions, no material has been placed on record to establish the correctness of the impugned demand.

(2) The Respondents have proceeded on the erroneous assumption that production of the MRI, by itself, is sufficient to establish the liability of the Complainant. It is respectfully submitted that an MRI merely records the cumulative meter reading at a particular point of time. It does not establish when the alleged units were consumed, during which billing cycles such units allegedly escaped billing, or the basis upon which the impugned demand has been computed. A cumulative meter reading is not synonymous with a legally recoverable demand.

(3) Even assuming, without admitting, that the MRI reflects the cumulative meter reading correctly, the Respondents have completely failed to establish the manner in which the impugned demand has been arrived at. The Respondents have not disclosed:

a) the billing cycles during which incorrect readings were allegedly adopted;
b) the actual readings recorded during those billing cycles;
c) the readings considered while generating the respective bills;
d) the exact period to which the alleged unbilled units relate; or
e) the computation by which the impugned demand has been raised.

The Respondents have, therefore, failed to discharge the burden of proving that the impugned amount represents actual electricity consumption attributable to the Complainant. It is also inexplicable as to how and why would anyone from the respondent's own department, record incorrect readings.

(4) The Respondents themselves admit that the billing agency failed to feed the actual meter readings. Such admission merely establishes an internal failure in the Respondents' billing mechanism. It does not establish the correctness of the impugned demand. The consequences of the Respondents' admitted administrative lapse cannot be shifted upon the consumer without cogent proof establishing the exact liability.

(5) The chronology emerging from the MRI reports relied upon by the Respondents is reproduced below:

Particulars	Meter Reading (kWh)	Increase
MRI-December 2023	67,629.56	-
MRI-October 2024	67,803.46	+173.90
Disputed Bill February 2025	68,240.00	+436.54
MRI-August 2025	68,535.04	+295.04
MRI-February 2026	68,594.15	+59.11

(6) The above chronology demonstrates that after December 2023, the cumulative reading has increased only gradually and uniformly. Significantly, however, the MRI itself does not explain when the alleged 64,230 units reflected in the impuned bill were consumed, nor does it establish the billing period to which those units relate. The Respondents have merely relied upon the cumulative figure without establishing the legal basis for raising the impugned demand.

(7) Without prejudice to the above, the correctness and reliability of the MRI itself is rendered doubtful by the surrounding circumstances.

(8) The subject property has, at all material times, been used only as a holiday home and has never been under permanent occupation. This fact has not been disputed by the Respondents. Prior to the impugned demand, the electricity bills consistently reflected cumulative consumption of approximately 4,011 units, which is wholly consistent with the nature of use of the property.

(9) The improbability of the MRI relied upon by the Respondents is further borne out from the consumption pattern of similarly situated cottages forming part of the same project.

(10) The Complainant has already placed on record the electricity bill of Ms. Mallika Singh, whose cottage was allotted and handed over approximately during the same period and

is similarly used only as a vacation home. Her cumulative electricity consumption till July 2024 is reflected as merely 3,402 units.

(11) Likewise, the adjoining cottage belonging to Ms. Anita Choudhary, where a caretaker resides throughout the year and the premises remain occupied on a continuous basis, has a cumulative electricity consumption of only about 11,508 units. The copy of the latest electricity bills of Ms. Anita Choudhary are annexed along with the instant rejoinder as Annexure R-1(Colly)

(12) In the face of the above undisputed surrounding circumstances, the Respondents' assertion that the Complainant's vacation cottage had already recorded approximately 67,629 units by December 2023 is inherently improbable and remains wholly unexplained. The Respondents have furnished no explanation whatsoever as to how one intermittently occupied vacation cottage could allegedly record cumulative electricity consumption several times higher than comparable neighboring cottages, including one under continuous occupation.

(13) These circumstances raise serious doubts regarding the correctness and reliability of the MRI relied upon by the Respondents. The Respondents have not placed any material on record to establish that the meter itself was functioning correctly, that the MRI accurately reflected the actual consumption, or that the electronic data contained therein is free from error. In these circumstances, the MRI cannot be treated as conclusive proof of the Respondents' claim.

(14) It is pertinent to note that the Complainant purchased the subject property in the year 2016. Even assuming, without admitting, that there existed any historical discrepancy in billing, the Respondents have failed to disclose the period to which the alleged accumulated units pertain. In the absence of such disclosure, the Complainant has been deprived of any meaningful opportunity to verify or dispute the alleged consumption.

(15) The Respondents have also failed to explain why the alleged discrepancy remained unnoticed for several years, why no inspection or verification of the premises or the meter was undertaken despite repeated representations by the Complainant, and why the impugned demand came to be raised only after the admitted failure of the billing agency.

(16) It is respectfully submitted that the Respondents seek to recover an extraordinary amount solely on the basis of assumptions unsupported by any satisfactory explanation or legally admissible computation. The burden to establish the correctness of such demand squarely rests upon the Respondents. That burden has not been discharged.

(17) In view of the foregoing, the reply filed by the Respondents deserves to be rejected and the complaint deserves to be allowed in terms of the reliefs prayed for in the captioned complaint.

4. वाद पर सुनवाई हेतु 29.06.2026 की तिथि नियत की गई। उभय पक्ष सुनवाई में उपस्थित हुए। विपक्षी को निर्देशित किया गया कि परिवादी के परिसर का स्थलील निरीक्षण करें तथा परीक्षण खंड से मीटर बदलन का सीलिंग प्रमाण पत्र लेकर मंच में 04.07.2026 तक प्रस्तुत करें।

5. विपक्षी अधिशासी अभियंता द्वारा मंच के निर्देशों के क्रम में आख्या पत्रांक 1851, दिनांक 03.07.2026 प्रस्तुत कर कहा गया कि"
 (1) अवर अभियन्ता द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया जिसमे उपभोक्ता के परिसर मे 02 बेडरुम, 01 लिविंग रुम एवं 01 किचन निर्मित किया गया है।
 (2) उपभोक्ता के परिसर में कुल संयोजित विद्युत भार 6.480 कि०वा० पाया गया है। जिसमें 03 गीजर, 01 टी0वी0,01 रेफ्रिजरेटर, बल्ब एवं ट्यूबलाइट हैं।
 (3) उपभोक्ता के मापक की सीलिंग प्रमाण पत्र उपलब्ध करने हेतु सहायक अभियन्ता (मापक) को पत्र प्रेषित कर अतिशीघ्र सीलिंग प्रमाण पत्र उपलब्ध करने हेतु कहा गया है। सीलिंग प्रमाण पत्र उपलब्ध होते ही मा० मंच के समक्ष प्रेषित किया जा सकेगा।"

6. मंच में पक्षकारों की पुनः सुनवाई के लिए 09.07.2026 की तिथि निर्धारित की गई। परिवादी ने सुनवाई में उपस्थित होने पर असमर्थता व्यक्त की जबकि विपक्षी ने विभागीय कार्य में व्यस्तता के कारण 10.07.2026 को उपस्थित होने का अनुरोध किया गया। दिनांक 10.07.2026 को संबंधित उपखंड अधिकारी उपस्थित हुए, जिसके द्वारा कहा गया कि सीलिंग प्रमाण पत्र की प्रति परीक्षण खंड से प्राप्त नहीं हो पायी है। मंच ने दिनांक 23.08.2026 को पुनः सुनवाई तिथि नियत करते हुए विपक्षी को आदेशित किया गया कि सहायक अभियंता (मापक) के साथ नियत तिथि पर सुनवाई हेतु उपस्थित हों। सभी पक्षों को सुनने का नोटिस जारी किया गया।

7. दिनांक 23.07.2026 को भी परिवादी सुनवाई में अनुपस्थित रहे विपक्षी वितरण खंड एवं परीक्षण खंड के प्रतिनिधि उपस्थित हुए। विपक्षी उपखंड अधिकारी द्वारा कहा गया कि परिवादी के परिसर पर स्थापित मीटर सख्या–15446515 की MRI रिपोर्ट में मीटर की रीडिंग स्पष्ट है, जिससे स्पष्ट है कि मीटर रीडर लंबे समय से मनमाने ढंग से रीडिंग भर रहे थे। मीटर की पूर्व खपत (2023 से पूर्व) के डाटा के लिए मीटर को मेक कंपनी **L&T** को भेजा जाना आवश्यक है। तभी किसी निर्णय पर पहुंचा जा सकता है। मंच द्वारा विपक्षी निर्देशित किया कि मीटर को जांच हेतु मेक कंपनी को भेजा जाए तथा परिवादी कुल बकाया बिल राशि का 10 प्रतिशत राशि विद्युत विभाग में जमा कराता है तो उसका संयोजन नये मापक के साथ जोड दिया जाय। विपक्षी यह भी आदेशित किया जाता है कि परिवादी के आगामी बिलों (**Current** बिलों) को लेते रहें तथा वाद के अंतिम निर्णय तक संयोजन विच्छेदित न करें। परिवादी द्वारा जमा करायी जाने वाली 10 फीसदी राशि इस वाद के अंतिम आदेश के अधीन समायोजित होगी। विपक्षी कार्य प्रगति से दिनांक 03.08.2026 तक मंच को अवगत कराये।

8. विपक्षी/विभाग द्वारा दिनांकित 06.08.2026 को अपनी आख्या में कहा गया कि "उक्त कम में मा० मंच को निम्न बिन्दुओं से अवगत कराना है।"
 1. उक्त कम में अवगत कराना है कि L&T द्वारा दूरभाष पर अवगत कराया गया है कि मापक का मात्र 01 वर्ष पूर्व का ही डाटा उपलब्ध कराया जा सकता है।
 2. उपभोक्ता द्वारा 10 प्रतिशत धनराशि का भुगतान कर दिया गया है।
 3. उक्त कम में ही मापक की टैम्पर रिपोर्ट आपके अवलोकन हेतु पूर्व मे प्रेषित की गयी है।

जिसके माध्यम से मा० फोरम द्वारा वर्ष 2023 से पूर्व के मीटर डाटा हेतु मापक L&T कम्पनी को भेजे जाने का उल्लेख किया है, के क्रम में अधोहस्ताक्षरी की L&T कम्पनी से दूरभाष पर हुई वार्ता में कम्पनी द्वारा अवगत कराया गया कि मात्र एक वर्ष पूर्व का मीटर डाटा ही उपलब्ध कराया जा सकता है, जो कि विभाग के पास पूर्व से ही उपलब्ध है। महोदय यह भी अवगत कराना है कि वादकर्ता द्वारा 10 प्रतिशत धनराशि का भुगतान कर दिया गया है।

महोदय **MRI** रिपोर्ट में वर्ष 2023 से KWH, KVAH का डाटा उपलब्ध होने के अतिरिक्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त मापक की टेम्पर रिपोर्ट उपलब्ध करवाई गई, जिसमें वर्ष 2017 से KWH, KVAH का उपभोग/तिथिनुसार विवरण उपलब्ध है, उक्त रिपोर्ट में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्न तालिकानुसार तथ्यों की विवेचना कर प्रस्तुत किया गया है, जिनसे संपूर्ण वास्तुस्थिति स्पष्ट होती है।

महोदय मापक सं० 15446515 की उपलब्ध टेम्पर रिपोर्ट से प्राप्त तथ्यों का विवरणः–

क0स0	माह/दिनांक	KWH	KVAH	औसत उपभोग यूनिट
1	13.08.2017	137	151	
2	02.12.2018(16 माह)	46742	46837	2912.8 यूनिट/प्रतिमाह
3	05.02.2019(02 माह)	63683	63808	8470 यूनिट/प्रतिमाह
4	07.06.2019(04 माह)	66187	66321	626 यूनिट/प्रतिमाह
5	09.05.2023(47 माह)	67364	67573	25 यूनिट/प्रतिमाह
6	19.12.2024(22 माह)	68020	68233	35 यूनिट/प्रतिमाह
7	29.05.2025 (साढ़े 5 माह)	68467	68679	82 यूनिट/प्रतिमाह
8	31.10.2025(05 माह)	68561	68775	19 यूनिट/प्रतिमाह
9	21.11.2025(01 माह)	68579	68793	18 यूनिट/प्रतिमाह

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2017 में मापक की रीडिंग 137 **KWH** थी, वादक द्वारा इसी परिसर में ही वर्ष 2017 से 2019 के मध्य अधिक यूनिटों का उपभोग किया गया है, तदोपरान्त वर्तमान तक मापक अनुसार विद्युत उपभोग सामान्य प्राप्त हो रहा है, जिससे मापक भी सही प्रतीत होता है।

अतः आख्या/रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर सेवा में प्रेषित की जा रही है।

9. परिवादी द्वारा दिनांक 17.08.2026 को अपनी आपत्ति में कहा गया है कि At the outset, it is submitted that the documents now relied upon by the OP do not cure the fundamental defect in their case, namely, that the OP have still not explained the basis on which the enormous

disputed consumption has been attributed to the Complainant or how the present monetary demand has been calculated.

It is further quite baffling to understand as to how far can the stage of pleadings be stretched to. The fact that in the earlier reply filed by the OP dated 16.06.2026, there was no mention of any tamper report as has been now sought to be done supports the plea of the complainant that the OP is merely trying to plug the lacunas in their defence. The plea is merely an afterthought and that too, contradictory to their own records.

That although the tamper report replied upon by the Opposite party does not signal towards any tampering with the electricity meter installed at the holiday home of the complainant, the extraordinary electricity allegedly consumed during the period between Aug 2017 to February 2019 suggests otherwise. With the appliances installed at the site, duly verified pursuant to the inspection conducted by the Opposite Party, it is well-nigh impossible for anyone to consume as much electricity as has been claimed by the OP. Be that as it may, it was the bounden duty of the OP to apprise the complainant about the extra-ordinary electric consumption by way of raising proper bills so that the discrepancy/unauthorized usage could have been addressed. While the complainant, for no fault of hers was, all through, kept under dark, she cannot now be hoisted with an unreasonable demand, that too, after a span of almost 8 long years (considering the fact that the disputed bill came to be raised for the first time on February 2025 for the alleged consumption dating back to the year 2017).

Also, one fails to understand the credibility associated with the tamper report when as per their own statement, the MRI for the electricity meter is not available for the period prior to December 2019. Under the circumstances, the demand is barred under Section 56(2) of the Act of 2003.

The detailed objections to the Tamper report are as mentioned hereinbelow.

(1) The OP rely upon the Tamper Report to support their case regarding the historical consumption. However, the report itself raises the most fundamental question which remains unanswered. The report records that on 13.08.2017, the forward kWh reading was approximately 137 units. The very same report records that on 02.12.2018, the forward kWh reading had reached 46,742.61 units. The difference between the two cumulative readings is approximately 46,605 kWh. The OP have, however, not explained during which billing periods this difference arose, whether the same was

ever billed contemporaneously, and, if not, on what basis the accumulated difference has subsequently been attributed to the complainant.

(2) There is no month-wise statement showing that 46,605 units were actually consumed during this period. There is no corresponding set of bills showing such consumption. There is no explanation as to which particular billing periods allegedly contained this consumption. The OP cannot substitute a cumulative meter reading for proof of consumption during an identifiable billing period.

(3) The OP's own report shows that the reading of 46,742.61 kWh on 02.12.2018 is recorded against an event described as "NeutralDisturbance". The report records several such Neutral Disturbance events on 02.12.2018, with the forward kWh readings moving from approximately **46,742 to 46,771, 46,789, 46,793, 46,801** and **46,810** within the same day.

(4) The report thereafter records further Neutral Disturbance events on 03.12.2018, with readings approaching 46,980 units. Such Neutral Disturbance strongly suggests potential energy theft or a compromised supply network that prevents accurate consumption measurement. When the OP itself produces a meter report showing extraordinary consumption contemporaneous with repeated electrical disturbance events, it ought to have explained whether those events had any bearing upon the accuracy of the meter recording. No such explanation has been furnished.

(5) The OP's report further records numerous Current Bypass and Current Open events in February 2019. On 06.02.2019 and thereafter, the report continues to record Current Open and Current Bypass events.

(6) The report's summary itself records:

- Current Bypass Y Phase-85 occurrences;
- Current Bypass B Phase-97 occurrences;
- Current Bypass R Phase-90 occurrences;
- Current Open R Phase-73 occurrences;
- Current Open Y Phase 45 occurrences;
- Current Open B Phase-48 occurrences;
- Neutral Disturbance-25 occurrences.

These are not matters which can simply be ignored when the very same meter data is being relied upon to fasten an extraordinary financial liability upon the Complainant. The OP has failed to explain the relationship, if any, between these recorded events and the consumption relied upon by them. The fact that there were so many current bypasses and current open phases is itself suggestive of a grave anomaly in the electricity meter-its consumption. This cannot be termed as mere normal electricity consumption by the complainant as has been sought to be projected by the OP in its

letter dated 4.08.2026. The bypassing of the electricity circuit is a serious flaw to the limited knowledge of the complainant and the same ought to have been brought to the notice of the complainant or alerted the OP to say the least. However, the OP kept sitting on the face of such abnormality and now cannot be allowed to take advantage of their own wrong.

(7) The OP have described and relied upon the document as a "Tamper Report". However, the summary table of the very same report records: "MagneticTamper - Ok - Count 0." The said entry does not record any Magnetic Tamper event. More importantly, none of the material furnished with the letter dated 06.08.2026 establishes any finding of deliberate physical tampering by the Complainant or explains how any of the electrical events recorded in the report are attributable to any act on her part.

(8) The OP has further failed to identify the billing periods during which the difference of approximately 46,605 units is alleged to have arisen. No explanation whatsoever has been put forth in support of their stance.

(9) The OP's own material shows that after the extraordinary increase in the period 2017-2019, the meter reading increased only marginally over the succeeding years. For nearly 6.5 years, the total units alleged to have been consumed by the complainant stand at 2468 making it an average of 379 units/year. This sharp change in the consumption pattern clearly required an explanation, which the OP has failed to provide.

(10) The property is a residential holiday cottage, intermittently occupied and otherwise lying vacant. This fact has already been pleaded in the complaint. The OP has not produced any evidence of permanent occupation, commercial activity, industrial equipment or any other load at the premises which could explain consumption of tens of thousands of units, that too in such a short span of time.

(11) The Complainant is also placing on record the electricity bill for the period ending 31.01.2026. There is an inherent mismatch in the electricity bill raised and the table derived from the tamper report, which is on the letter dated 04.08.2026. While the electricity bill raised shows a consistent usage of electricity quantified at approximately Rs. 6,000-Rs 7,000 on a monthly basis starting from February 2025-January 2026, the table shows a meagre consumption of 82 units/moth (for 5 months).

19 units/month (for 5 months) and 18 units for the period of October -Nov 2025. The copy of the electricity bill is appended along with the instant reply and marked for the perusal of this Hon'ble Tribunal as Annexure R-1.

(12) The property came to be owned by the Complainant in May 2017. The OP's own Tamper Report begins showing the relevant historical meter data from 2017, including the reading of approximately 137 kWh in August 2017. To the extent that the OP seeks to rely upon any consumption predating the Complainant's ownership, the same cannot mechanically be attributed to her without establishing the relevant period, consumer, billing record and legal basis for such recovery. The OP have not made that distinction clear.

(13) That another significant factor that needs to be brought to the attention of this Hon'ble Forum is that during the first few years after having purchased the cottage, the complainant underwent an extremely agonizing medical condition, which prevented her or her husband from even accessing the cottage. Staying in a nuclear family setup, the husband of the complainant and the complainant had to stay put in Delhi for the major part of 2017-2019. The complainant is filing along with the instant reply, documents to establish that the Complainant underwent IVF treatment in September 2017 for a pregnancy which was termed as a very high-risk pregnancy where the complainant was confined to the bed and yet could not prevent the pregnancy from maturing fruitfully resulting in a still born child on 16.03.2018. Pursuant to the loss of the first child, the complainant conceived again in June, 2018.

(14) The subsequent pregnancy was again high-risk threatened pregnancy. The contemporaneous email dated 14.11.2018 records that the Complainant had undergone a cerclage procedure on 03.10.2018, had been advised complete bed rest and had exhausted her official leave from 15.10.2018 onwards (after availing her second maternity leave) as she was unable to even join her office at New Delhi. Staying and residing in the mountains and consuming the sort of electricity that has allegedly been consumed was a luxury that she could have ill-afforded. The email and the medical documents are appended along with the instant reply as Annexure R-2 (Colly).

(15) That to close the argument, it is submitted that there was no way that the complainant or her immediate family could have utilized as much electricity as has been alleged. The appliances, sanctioned load and the average consumption defies any such position. If indeed, the electricity was being stolen by someone as is possible given the consistent, current bypass, current open and neutral disturbances show, the same was not within the knowledge of the complainant. The OP certainly knew about the

same and in essence perpetuated the illegality, by their inaction. They cannot now be heard to claim any recovery from the complainant for their own indolence.

(16) That the complainant requests that this Forum provides an opportunity of being heard so that the final outcome could be rendered as the complainant has already been subjected to ample harassment at the hands of the OP. The undersigned would be grateful if this Hon'ble Forum affords an opportunity of being heard on the following dates: August: 26, 27, 29, 31.

PRAYER

In view of the facts stated above, it is respectfully submitted that the documents furnished by the OP pursuant to their letter dated 06.08.2026 do not establish the correctness of the disputed demand. In view of the same, it is prayed that this Hon'ble Forum may be pleased to:

a) Set aside the demand as raised by the OP as arbitrary and unconscionable.
b) irect the immediate restoration of the electricity, which was illegaly disconnected by the OP.

10. मंच में दिनांक 07.09.2026 को पुनः सुनवाई की तिथि नियत की गई। पक्षकार मंच में सुनवाई हेतु उपस्थित रहे। पक्षकारों के तर्क सुने गए।

11. मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया। परिवादी की बिलिंग हिस्ट्री एवं मापक की एम0आर0आई0 रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। परिवादी के परिसर पर वर्तमान मीटर सं0–(15446515) दिनांक 02.08.2016 को शून्य रीडिंग पर स्थापित किया गया। इस तिथि को जो मीटर (संख्या–**EM3827**) उतारा गया उसकी अंतिम रीडिंग 810 थी। नया मीटर स्थापित हो जाने के बाद भी मीटर रीडर पुराने मीटर की रीडिंग से आगे मनमाने ढंग से रीडिंग भरता रहा। यह कृत्य उसके द्वारा जनवरी 2025 तक लगातार किया जाता रहा। अर्थात साढे आठ वर्ष तक मीटर रीडर द्वारा प्रत्येक बिल चक्र में अपने स्वहित के लिए विभाग को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया जाता रहा। 12 फरवरी 2025 में जब मीटर रीडिंग की कार्यदायी संस्था द्वारा वास्तविक मीटर रीडिंग पोस्ट की गई जो की 68240 थी। अर्थात परिवादी को संचित रीडिंग 64230 यूनिट का बिल जारी हुआ। 02.08.2016 से 12.02.2025 के मध्य दिखाई गई 4010 यूनिट की खपत का कोई आधार ही नहीं है क्योंकि पुराना मीटर 2016 में ही उतारा जा चुका था जबकि मीटर रीडर पुरानी रीडिंग को ही आगे बढ़ाता रहा। लगभग साढ़े आठ वर्ष तक प्रत्येक बिल चक्र में भरी जा रही गलत रीडिंग को लापरवाही नहीं माना जा सकता। यह कृत्य जानबूझकर किया गया प्रतीत होता है जिसकी पुष्टि एम0आर0आई0 रिपोर्ट में अंकित मीटर रीडिंग से हो जाती है। एम0आर0आई0 रिपोर्ट से स्पष्ट है कि 2019 तक अत्यधिक विद्युत खपत की गयी। मीटर रीडर के कृत्य के लिए वितरण कंपनी को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता जबकि एम0आर0आई0 रिपोर्ट से वास्तविक खपत साबित हो रही है। मंच विपक्षी से अपेक्षा करता है कि इस कृत्य के लिए दोषी कार्मिकों के खिलाफ यथोचित विभागीय कार्रवाई करे।

मंच के मत में परिवादी का यह बीजक वर्तमान मीटर की दिनांक 02.08.2016 से वर्तमान तक की वास्त को खपत को मासिक औसत आधार पर समय–समय पर लागू उचित टैरिफ स्लैब के आधार पर संशो किया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी के मीटर सख्या–15446515 की समस्त खपत को मीटर की स्थापना अवधि तक मासिक औसत आधार पर विभाजित करते हुए समय–समय पर लागू टैरिफ दर के अनुसार उक्त अवधि में परिवादी द्वारा जमा कराई गई धनराशि का समायोजन प्रदान करते हुए संशोधित बीजक जारी करें। इस प्रकार संशोधित बीजक पर कोई विलंब भुगतान अधिभार देय नहीं होगा। विपक्षी इस आदेश की अनुपालन आख्या 30 दिन के भीतर मंच में प्रस्तुत करें। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–08.09.2026

08/09/2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(ब्रह्म पाल)
सदस्य (तकनीकी)

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।
दिनांकः–08.09.2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(ब्रह्म पाल)
सदस्य (तकनीकी)

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी, जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–ब्रह्म पाल, सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या–98/2026
पंजीकरण तिथि–14.07.2026
निर्णय तिथि–08.09.2026

परिवादी
कमल सिंह चिलवाल
रेहर, भवाली
जिला–नैनीताल।

बनाम

विपक्षी
अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
नैनीताल।

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र दिनांकित 05.07.2026 में कहा गया है कि प्रार्थी द्वारा नवबर 2025 में सोलर के लिए आवेदन किया गया किंतु विद्युत विभाग द्वारा कई बार आग्रह करने के उपरां 28 फरवरी 2026 को सोलर मीटर लगाया गया उसके बाद आपके आयोग में दिनांक 06.05.26 को शिकायत करने के बाद जून में –819 रुपए का बिल दिया गया जबकि इससे पहले मई में मेरे द्वारा 2145 रूपये का बिल भुगतान किया गया हैं। इस प्रकार सोलर लगने के बावजूद भी निरन्तर बिल दिया जा रहा हैं इस सम्बंध में जब मेरे द्वारा आपके विभाग के टोल फ्री नम्बर 1912 पे जानकारी ली गयी तो उनके द्वारा कहा गया कि सोलर मीटर की यूनिट शून्य हैं जबकि सोलर निरन्तर 12 –15 यूनिट बिजली बना रहा हैं। जिस कारण प्रार्थी को हर माह लोन के 2000 के साथ–साथ बिजली का बिल भी लगभग 2000–3000 देना पड़ रहा हैं इससे पूर्व भी बिजली विभाग द्वारा कई बार गलत बिल प्रदान किए गए जिन्हें बाद में एडजस्ट किया गया विद्युत विभाग की इस प्रकार की कार्यप्रणाली से मुझे हर माह आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा हैं। अतः महोदय से निवेदन हैं कि कार्यवाही करने की कृपा करें।
2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत बिन्दुवार उत्तर पत्र दिनांकित 20.07.2026 में कहा गया है कि:–
 1. उपभोक्ता के सोलर रूफ प्लांट से माह 03/2026 से 05/2026 तक ग्रिड में 782 यूनिट आई है। उक्त रिडिंग का समायोजन माह 05/2026 के विद्युत बिल में किया जा चुका है।
 2. उपभोक्ता के मापक की हिस्ट्री के अनुसार माह 06/2026 में कोई भी यूनिट प्राप्त नहीं हुई है तथा ग्रिड से 349 यूनिट ली गयी है। जिसके आधार पर उपभोक्ता का विद्युत बिल रु0 2405.00 का बना है।
 3. पूर्व सोलर यूनिट की धनराशि रु0 861.00 को समायोजित करने व जमानत राशि रु० 84.00 को जोड़ते हुऐ कुल देय धनराशि रु० 1628.00 है जो मापक की रिडिंग के आधार पर सही है।

3. मंच द्वारा वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 23.07.2026 की तिथि नियत की गयी। सुनवाई हेतु विपक्षी उपखण्ड अधिकारी मंच के समक्ष उपस्थित हुए जबकि परिवादी अनुपस्थित रहे। परिवादी द्वारा दूरभाष पर अतिरिक्त समय की मांग की गयी। विपक्षी को निर्देशित किया गया कि परिवादी के जून माह में Export Unit शून्य पर स्पष्ट आख्या प्रस्तुत करे।

4. विपक्षी/विभाग द्वारा दिनांक 29.07.2026 को उत्तर पत्र प्रस्तुत किया गया मंच में उपभोक्ता के मापक की एक्सपोर्ट यूनिट की रिडिंग की प्रति प्रस्तुत की गई।

5. दिनांक 03.08.2026 को मंच द्वारा विपक्षी को निर्देशित किया गया कि परिवादी के मापक की MRI करवाकर Export Unit के संबंध में आख्या प्रस्तुत करें। विपक्षी ने दिनांक 18.08.2026 एवं 27.08.2026 को अतिरिक्त समय की मांग की जिस पर मंच ने उभय पक्षों को दिनांक 08.09.2026 को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया तथा विपक्षी को MRI रिपोर्ट एवं मीटर रीडिंग शीट के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया।

6. दिनांक 08.09.2026 को सुनवाई तिथि पर परिवादी अनुपस्थित रहे जबकि विपक्षी सहायक अभियंता (राजस्व) उपस्थित हुए। विपक्षी द्वारा MRI रिपोर्ट एवं बिल की प्रति प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि परिवादी के प्लॉट में निर्यात (Export) यूनिट शून्य ही आ रही है। इनके रूफटॉप के उत्पादन के लिए उपभोक्ता को अपने वेंडर से संपर्क करना होगा।

7. मंच द्वारा पत्रावली का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया। परिवादी के बिलों के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी के मीटर की वास्तविक रीडिंग पर ही बिल बनाये जा रहे हैं। जहां तक निर्यात (Export) यूनिट शून्य का प्रश्न है तो यह सोलर रूफटॉप के उत्पादन संबंधी प्रकरण है। परिवादी के प्लॉट में उत्पादन के संबंध में वह विद्युत वितरण लाइसेंसी के साथ किये गये पावर परचेज एग्रीमेंट के अनुसार संबंधित अधिकारी/आयोग में शिकायत कर सकते हैं। अतः प्रस्तुत प्रकरण मंच में पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–08/09/2026

08/09/2026 | 08/09/2026

(हिमांशु बहुगुणा)	(ब्रह्म पाल)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः–08/09/2026

(हिमांशु बहुगुणा)	(ब्रह्म पाल)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी, जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–ब्रह्म पाल, सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या–103 / 2026
पंजीकरण तिथि–23.07.2026
निर्णय तिथि–08.09.2026

गंगा दत्त परिवादी
द्वारा हरी दत्त
हाईडिल गेट, जागनाथ कालौनी
काठगोदाम
जिला–नैनीताल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड(नगर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
तिकोनिया, हल्द्वानी।

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र में कहा गया है कि मेरा लघु उद्योग आटा चक्की हायडिल गेट में स्थित है विगत कुछ माह से बिल अधिक आ रहा है जब कि 10 H.P. का लोड स्वीकृत है तथा 10 H.P. की मोटर भी लगी है।अतः महोदय से निवेदन है कि बिल सही करने की कृपा करें।
2. विपक्षी / विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 25.07.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता के बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार उपभोक्ता बिल एम० यू० आधारित निर्मित हैं एवं लगभग समान मासिक खपत के निर्मित हैं। उपभोक्ता के बिलिंग हिस्ट्री की प्रति संलग्न है।
3. मंच द्वारा वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 04.08.2026 की तिथि नियत की गयी। सुनवाई हेतु पक्षकार प्रयत्क्ष रूप से मंच में उपस्थित हुये। पक्षकारों के तर्क सुने गये विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि परिवादी यदि चैक मापक शुल्क जमा करता है, तो मीटर शुद्धता जांच हेतु चैक मापक स्थापित करें व दिनांक 31.08.2026 तक चैक मापक फाईनल रिपोर्ट मंच में प्रस्तुत करे।
4. विपक्षी / विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 31.08.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता द्वारा मापक की शुद्धता की जांच हेतु चैक मापक स्थापन हेतु शुल्क जमा किया जाना था, परन्तु उपभोक्ता द्वारा अभी तक चैक मापक स्थापन हेतु शुल्क जमा नहीं किया गया है, जिस कारण अग्रेत्तर कार्यवाही नहीं की जा सकी है।

5. मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों का अवलोकन किया गया। परिवादी ने अपना विद्युत बिल अधिक आने की शिकायत मंच के समक्ष की है। विपक्षी द्वारा कहा गया है कि परिवादी को सही विद्युत रीडिंग के बिल दिये जा रहे है। परिवादी को मीटर की शुद्धता पर शंका है तो वह चैक मापक हेतु विपक्षी के कार्यालय में निर्धारित शुल्क जमा कर मीटर की शुद्धता जांच करवा सकता है, चैक मापक की रिपोर्ट के अनुसार ही आगे की कार्यवाही की जा सकेगी।

मंच के मत में यदि परिवादी को मीटर की शुद्धता पर शंका है तो वह चैक मापक हेतु विपक्षी के कार्यालय में निर्धारित शुल्क जमा कर मीटर की शुद्धता जांच करवा सकता है। चूंकि चैक मापक स्थापना के लिए परिवादी के स्तर पर ही कार्यवाही की जानी है। अतः मंच में इस वाद को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है।

आदेश

परिवादी का वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून–248006, के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–08/09/2026

08/09/2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(ब्रह्म पाल)
सदस्य (तकनीकी)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः–08/09/2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(ब्रह्म पाल)
सदस्य (तकनीकी)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–ब्रह्म पाल, सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या–105/2026
पंजीकरण तिथि–30.07.2026
निर्णय तिथि–08.09.2026

नंदन सिंह परिवादी
वार्ड03, गाँधी नगर
लालकुआँ
जिला–नैनीताल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हीनार, हल्द्वानी

निर्णय

1. प की द्वारा प्रस्तुत किाय पत्र में कहा गया है कि प्रार्थी नंदन सिं पुत्र श्री शिन सिं निवासी वार्ड न0–3, गाँधी नगर लालकुँआ, नैनीताल का एक व्यापारिक बिजली कनेक्श नर्सरी गेट, लालकुआ पर है जिसका कनेक्शन संख्या–3965602142407 है। महोदय पुर्व में यह कनेक्शन बिजली विभाग द्वारा गलती से मेरे निवास स्थान पर लगा दिया गया था जब बिल 18485 रूपए का आया तब मैंने बिजली विभाग में लिखित शिकायत दर्ज करवाई। महोदय चुकि यह बिजली विभाग की गलती से आया तो मैंने दिनांक 25.11.22 को बिल व्यापारिक आधार पर देने के लिए लिखित असमर्थता जताया। महोदय प्रार्थी के बार बार आग्रह करने पर यह मीटर बदल कर प्रार्थी के व्यापारिक कार्यालय पर लगाया गया। यहाँ पर कुछ समय सही रीडिंग आने के बाद अचानक दिसम्बर 2025 में 1680 यूनिट रीडिंग आई जो कि 30 से 80 यूनिट के बीच में ही रहता था। महोदय व्यापारिक कार्यालय मात्र 1 से 2 घंटे ही खुलता है जिसमे 9 वाट की 1 LED बल्ब और पंखा लगा हुआ है। बिजली विभाग से बार–बार शिकायत करने के बाद भी इसका विभाग द्वारा कोई निराकरण नहीं किया गया है। महोदय से सविनय निवेदन है कि प्रार्थी के बिल का सही आकलन कराये जाने का कष्ट प्रदान करे ताकि प्रार्थी बिल की त्रुटि से आये अतिरिक्त भार से मुक्त हो सके। प्रार्थी महोदय का अत्यंत आभारी रहेगा।
2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 06.08.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता के RDF विद्युत बिलों को संशोधित कर दिया गया है। उपभोक्ता को उनके मापक की MRI के आधार पर MU में विद्युत बिल प्रेषित किये जा रहे है।
3. मंच द्वारा प्रतिउत्तर/आपत्ति/संतुष्टि पत्र प्रस्तुत करने हेतु परिवादी को दिनांक 12.08.2026 का समय प्रदान किया गया परन्तु परिवादी द्वारा कोई प्रतिउत्तर/आपत्ति मंच के समक्ष प्रस्तुत नहीं की और ना ही कोई सूचना मंच को दी गयी।

4. मंच द्वारा वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 21.08.2026 की तिथि नियत की गयी। सुनवाई के समय विपक्षी को निर्देशित किया गया कि परिवादी के बिल का परीक्षण कर RDF अवधि के समायोजन एवं बिल भुगतान अधिकार के संबंध में आख्या दिनांक 01.09.2026 तक प्रस्तुत करें। परन्तु विपक्षी ने नियत तिथि पर आख्या प्रस्तुत नहीं की तो मंच द्वारा पुनः 07.09.2026 को सुनवाई की तिथि नियत की गयी। दोनों ही पक्ष इस तिथि पर सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए तो न्यायाहित में पुनः 08.09.2026 की तिथि सुनवाई हेतु नियत की गयी।
5. दिनांक 08.09.2026 को उभय पक्ष मंच में सुनवाई हेतु उपस्थित हुए। पक्षकारों के तर्क सुने गये। विपक्षी उपखण्ड अधिकारी द्वारा बताया गया कि नवम्बर 2024 से अक्टूबर 2025 तक परिवादी के बिल किन्हीं कारणों से RDF में बने हैं जिन्हें दिसम्बर 2025 में वास्तविक रीडिंग पर बिल दिया गया उसके बाद दो बिल चक्रों में NA के आधार पर भी बिल गये थे। वास्तविक रीडिंग पर बिल जारी होने से परिवादी को बिल की राशि बढ़ी हुई प्रतीत हो रही है। साथ ही RDF के कारण परिवादी द्वारा बिल भुगतान भी नहीं किया जिससे LPS की आरोपित हुआ है। परिवादी ने कहा कि उसकी छोटी सी दुकान है जहां लोड भी 01 कि०वा० का है अतः बिल ठीक किया जाये।
6. मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवादी की बिल हिस्ट्री एवं MRI रिपोर्ट का परीक्षण करने पर पाया गया कि विपक्षी ने बिलो को वास्तविक मीटर रीडिंग पर संशोधित कर दिया है परन्तु संशोधन में विलंब भुगतान अधिभार का लाभ नहीं दिया गया है। मंच के मत में RDF एवं NA के बिलों के लिए परिवादी का कोई दोष नहीं है। अतः बिलों पर लगाया गया LPS हटाया जाना न्यायोचित होगा। विपक्षी ने मंच के निर्देश पर [redacted] एक गणना शीट सुनवाई के समय प्रस्तुत की जिसमें 6652.66 रुपये का विलंब भुगतान अधिभार दर्शाया गया है इस गणना शीट से LPS की राशि हटाते हुए संशोधित बिल जारी किया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

वाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त चर्चा के आधार पर परिवादी के बिल से LPS की राशि हटाते हुए संशोधित बिल जारी करें। परिवाद तद्नुसार निस्तारित। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–08/09/2026

(हिमांशु बहुगुणा) 08/09/2026	(ब्रह्म पाल)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः–08/09/2026

(हिमांशु बहुगुणा)	(ब्रह्म पाल)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–ब्रह्म पाल, सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या–113/2026
पंजीकरण तिथि–07.08.2026
निर्णय तिथि–22.09.2026

रमेश चन्द्र भट्ट — परिवादी
भट्ट ग्रिल्ड उद्योग
लोहरियासाल मल्ला
पोओ0–कठघरिया, हल्द्वानी
जिला–नैनीताल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
कमलवागांजा, हल्द्वानी।

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायत पत्र में कहा गया है कि मेरा पुराना मीटर चेंज करके नया स्मार्ट मीटर लगाया गया था। जब मीटर चेंज किया गया पुराने मीटर का जो बिल बना मैंने उसे भुगतान कर दिया। जब से स्मार्ट मीटर लगा उसका बिल नहीं आया। जो की 10 माह से बिल नहीं आया अब जब बिल आया है तो बहुत अधिक आया है। कई बार मैंने विभाग से इसकी शिकायत की मुझे कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला। अतः निवेदन है कि मेरा बिजली का बिल कम करने की कृपा करें मेरा कनेक्शन नंबर–390E161047402 है।
2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 17.08.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता द्वारा अपनी शिकायत में विद्युत संयोजन संख्या–390E161047402 के बिल से सम्बन्धित शिकायत की गयी है। माननीय मंच को अवगत कराना है कि उपभोक्ता के यहाँ 01.11.2025 में स्मार्ट मापक स्थापित किया गया था, जिसमें तकनीकी कारण से बिल नहीं बन पा रहा था जिनका बिल माह 06/2026 तक दिनांक 03.07.2026 को निर्गत किया गया, जो रीडिंग के आधार पर सही बना है।
3. परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर/आपत्ति दिनांकित में कहा गया है कि "With reference for your emails reply, I am not satisfied your responses, kindly check again."

4. मंच द्वारा वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 07.09.2026 की तिथि नियत की गयी। सुनवाई हेतु पक्षकार प्रयत्क्ष रूप से मंच के समक्ष उपस्थित हुये। दोनों पक्षों के तर्क सुने गये। सुनवाई के दौरान मंच द्वारा, विपक्षी/विभाग को आदेशित किया गया कि परिवादी से बकाया राशि का 50 फीसदी लेना सुनिश्चित करे तथा वाद के निस्तारण तक परिवादी का संयोजन विच्छेदित न करे व उक्त राशि मंच के अंतिम निर्णय के अधीन समायोजित होग ॥साथ ही यह भी आदेशित किया गया कि परिवादी के बिल में दर्शायी गयी MD 80.30 का प्रमाण प्रस्तुत करे तथा Excess Load Penalty की गणना का पुनरीक्षण अपनी आख्या दिनांक 15.09.2026 पूर्वाहन 11:00 बजे तक मंच में प्रस्तुत करे।
5. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांकित 14.09.2026 में कहा गया है कि शिकायकर्ता श्री रमेश चन्द्र भट्ट की Excess Load Penalty का रिविजन कर रू0 27859.52 की धनराशि समायोजित कर दी गयी है।
6. मंच द्वारा पत्रावली का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया। विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया के फलस्वरूप वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत के समाधान कर दिए जाने के फलस्वरुप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बड्स मैन 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः—22/09/2026

22/09/2026
(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(ब्रह्म पाल)
सदस्य (तकनीकी)

22/09/2026
(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः—22/09/2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(ब्रह्म पाल)
सदस्य (तकनीकी)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी, जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–ब्रह्म पाल, सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या–118 / 2026
पंजीकरण तिथि–14.08.2026
निर्णय तिथि–07.09.2026

बिपिन चन्द्र
मै0 इंडस टावर्स लिमिटेड
सत्य लोक कालौनी
रामपुर रोड़, हल्द्वानी
जिला–नैनीताल।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
कमलवागांजा, हल्द्वानी।

विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र में कहा गया है कि "We had duly applied for PD on Acc No-40132210987, on dated -28 Jan 2026 connected load in the name of Indus Towers limited, under HALDWANI RURAL Division.

 Since provisional billing done by division, we request for correction for bill. Moreover, we are ready to pay fee also. We are pursuing to respective division, but no response is receiving.

 Therefore, we request you to kindly register our grievance before your kind level Forum and provide us justice. Security deposit amount not refunded within timely and hence applicable interest also need to be allow."

2. विपक्षी / विभाग द्वारा प्रस्तुत बिन्दुवार उत्तर पत्र दिनांकित 05.09.2026 में कहा गया है कि–उपभोक्ता द्वारा अपनी शिकायत में विद्युत संयोजन संख्या–390K000026376 के पी०डी० से सम्बंधित शिकायत की गयी है। माननीय मंच को अवगत कराना है कि उपभोक्ता के उक्त विद्युत संयोजन की पी०डी० बिल संसोधन के उपरान्त फाइनल बिल की धनराशि रु० –258458.28 भुगतान की जानी है। जिसके लिए उपभोक्ता का आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या मय IFSC कोड खण्ड कार्यालय, कमालवागांजा, हल्द्वानी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि उक्त धनराशि को उपभोक्ता के बैंक खाते में निर्गत किया जा सके।

3. विपक्षी की आख्या परिवादी को आपत्ति/संतुष्टि प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित की गयी। परिवादी ने विपक्षी की आख्या पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की परन्तु जमानत राशि हेतु वांछित प्रपत्र/विवरण मंच कार्यालय को प्रेषित कर दिये गये। परिवादी को जमानत राशि प्राप्त करने हेतु वांछित प्रपत्र खण्ड कार्यालय में जमा कराये जाने हैं क्योंकि वहीं से यह राशि भुगतान की जाती है ना कि मंच कार्यालय से। मंच के मत में विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादी के संयोजन की पी०डी० की शिकायत का समाधान कर दिया गया है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। परिवादी अपनी जमानत राशि प्राप्त करने हेतु विपक्षी के कार्यालय में वांछित प्रपत्र जमा कराना सुनिश्चित करे। परिवाद तद्नुसार निस्तारित। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–07/09/2026

07/09/2026 07/09/2026

(हिमांशु बहुगुणा) (ब्रह्म पाल) (विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता) सदस्य (तकनीकी) सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः–07/09/2026

(हिमांशु बहुगुणा) (ब्रह्म पाल) (विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता) सदस्य (तकनीकी) सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरमः– 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2–ब्रह्म पाल, सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–119/2026
पंजीकरण तिथिः–19.08.2026
निर्णय की तिथिः–08.09.2026

नारायण द्वारा संध्या, परिवादी
राजपुरा वार्ड नं0–13,
हल्द्वानी जिला–नैनीताल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी (नगर)।

निर्णय

1. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है किः– मेरा कनैक्शन संख्या–**382N223111807**, खाता सं०–40115350872 जो कि नारायण के नाम से है। आपको अवगत कराना है कि पिछले कुछ माह से मेरा विद्युत बिल बढ कर आ रहे है पहले मेरे बिल 1700.00 से 1800.00 रूपये तक आता था। कि विद्युत विभाग द्वारा मेरा पुराना मापक बदलकर माह जून 2026 में मेरे घर पर स्मार्ट मीटर लगाया गया जिसके बाद एकदम से मेरा पहला बिल 33738.00 दूसरा बिल रू0 36755.00 व तीसरा बिल 39121.00 आ गया। महोदय मैं विभाग के चक्कर लगा चुका हूँ परन्तु हर बार यही कहा जाता है कि अगली बार ठीक कर दिया जायेगा। परन्तु ना तो मुझे बिल सही करके दिया जाता है और न ही मुझे सही जानकारी दी जाती है। आपको यह भी अवगत कराना है कि मेरे द्वारा 2025 मे भी मेरा मीटर खराब होने की सूचना विभाग को दी गयी थी परन्तु मेरा मीटर नहीं बदला गया।

महोदय मैं एक गरीब व्यक्ति हूं और मजदूरी करके अपने परिवार का पालन–पोषण कर रहा हूं व अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। इतना अधिक बिल मैं जमा नहीं कर सकता हूं। महोदय से निवेदन है कि मेरा बिल सही करवा कर मुझे न्याय दिलाये। ताकि मैं समय से अपना बिल भर सकूं।

2. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया है कि उपभोक्ता के परिसर पर दिनांक 22.04.2026 को स्मार्ट मापक स्थापित है किया गया है, जिसके सीलिंग रिपोर्ट के अनुसार पुराने मापक की अंतिम रीडिंग 14396 परन्तु उपभोक्ता का दिनांक 19.01.2025 से स्मार्ट मापक स्थापन की तिथि 22.04.2026 तक I.D.F के बिल निर्मित है। उपभोक्ता का माह 05/2026 का बीजक, पुराने मापक के विरुद्ध अवशेष यूनिट (14396–10780 = 3616) एवं नये मापक के यूनिट 364 कुल 3980 यूनिट के आधार पर निर्मित हुआ है।

3 परिवादी द्वारा दिनांकित 29.08.2026 को अपनी आपत्ति में कहा गया है कि आपने जो बिल भेजा है, उसमे हम सहमत नहीं है, कृपया बिजली बिल और कम कीजिए स्मार्ट, मीटर का बिल जितना आया है, हम उतना ही बिजली का बिल देंगे।

4. दिनांक 07.09.2026 को मच में सुनवाई की तिथि की गई। उभय पक्ष सुनवाई में उपस्थित रहे विपक्षी द्वारा कहा गया कि परिवादी का पुराना मी बदलते समय उसमें 3616 यूनिट अवशेष थी अतः उसी आधार पर बिल निर्गत किया गया है। विपक्षी द्वारा परिवादी की बिल हिस्ट्री भी प्रस्तुत की गई। थी परिवादी द्वारा कहा गया कि विभाग ने अप्रैल 2026 तक जो भी बिल दिए उसका भुगतान किया जा रहा, परंतु जून माह में अचानक 33738 रुपए का बिल भेजा गया जिस कारण भुगतान नहीं किया गया।

5 मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवादी की बिल हिस्ट्री के अवलोकन से यह तथ्य सामने आया है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को जनवरी 2025 से अप्रैल 2026 तक कुल 16 बिल चक्रों में IDF के बीजक दिए गए जिसका परिवादी भुगतान करता रहा है। दिनांक 22.04.2026 को परिवादी का मापक बदलकर स्मार्ट मीटर स्थापित कर दिया गया तथा सीलिंग प्रमाण पत्र में बदले गए मापक की रीडिंग 14396 अंकित की गई है, जबकि बिल हिस्ट्री के अनुसार यह मीटर जनवरी 2025 में 10780 रीडिंग पर IDF हो चुका था तथा नए स्मार्ट मीटर लगने तक 16 बिल चक्रों में IDF के ही बिल दिए जा रहे थे। विपक्षी ने जो रीडिंग सीलिंग प्रमाण पत्र पर भरी है उसे मंच स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि सीलिंग प्रमाण पत्र पर उपभोक्ता के हस्ताक्षर नहीं हैं और ना ही प्रश्नगत मीटर की एम0आर0आई0 रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। अतः यह मंच इस मत का है कि परिवादी का 19 अप्रैल 2026 स्मार्ट मीटर स्थापित किए जाने की तिथि तक 22.04.2026 तक का बीजक IDF आधार पर ही निर्गत किया जाना न्यायोचित होगा। दिनांक 22.04.2026 से वर्तमान तक का बीजक स्मार्ट मीटर की वास्तविक रीडिंग के आधार पर जारी गया।

आदेश

वाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी द्वारा परिवादी को जारी दिनांक 13.06.2026 का बीजक निरस्त किया जाता है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि दिनांक 19.04.2026 से बदले जाने की तिथि 22.04.2026 तक का बीजक IDF आधार पर तथा दिनांक 22.04.2026 से 07.08.2026 तक का बीजक स्मार्ट मीटर की वास्तविक रीडिंग के आधार पर संशोधित करें। इस प्रकार संशोधि

बीजक पर कोई विलंब भुगतान अधिकार देय नहीं होगा। विपक्षी इस आदेश की अनुपालन आख्या 30 दिन के भीतर मंच में प्रस्तुत करें। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–08.09.2026

08/09/2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(ब्रह्म पाल)
सदस्य (तकनीकी)

08/09/2026

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।
दिनांकः–08.09.2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(ब्रह्म पाल)
सदस्य (तकनीकी)

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी, जिला–नैनीताल

समे — 1– विष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–ब्रह्म पाल, सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–120 / 2026
पंजीकरण तिथि–24.08.2026
निर्णय तिथि–22.09.2026

गोकुल मेहर
राजीव नगर
बिखरत्ता, लालकुआं
जिला–नैनीताल।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
कमलवागांजा, हल्द्वानी।

विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत वाक्षिय पत्र में कहा गया है कि "I installed a 3 kW solar plant on 7 August 2025 under the PM Surya Ghar Yojana, with an eligible subsidy of approximately ₹86,000. However, the plant was installed on a temporary electricity connection without informing me or my family. The dealer also failed to disclose this issue. It has now been more than one year, but my subsidy has still not been received. Additionally, the smart meter and solar meter were incorrectly connected together, resulting in my electricity bill becoming almost three times higher. I have already submitted a written complaint to the SDO, Lalkuan, and repeatedly informed the dealer, but no resolution has been provided. Furthermore, my solar plant has been shut down for the last one month on the SDO's instructions, causing a loss of approximately 15–17 units of generation per day. I am also paying additional interest on the loan taken for the solar installation because of the pending subsidy. I request your urgent intervention to:

 Release my pending ₹86,000 subsidy.
 Correct the meter connection and excessive billing.
 Restore my solar plant immediately.
 Address the financial loss caused by the delay and shutdown.

 Kindly take necessary action and provide a time-bound resolution."

2. पक्षी / विभाग द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांकित 05.09.2026 में कहा गया है कि प्रकरण में लिखित उत्तर एवं अभिलेख प्रदान किये जाने हेतु 1 सप्ताह का समय विस्तार प्रदान करने का कष्ट करें। उक्त के क्रम विपक्षी / विभाग द्वारा दिनांक 14.09.2026 को मंच के समक्ष पत्र प्रस्तुत कर पुनः 1 सप्ताह के समय विस्तार की मांग की है।

3. मंच द्वारा, विपक्षी/विभाग के समय विस्तार के अनुरोध को स्वीकार कर हुये वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 22.09.2026 की तिथि नियत की गयी। विपक्षी उपस्थित हुये जबकि परिवादी द्वारा दिनांक 18.09.2026 को ईमेल के माध्यम से सुनवाई में उपस्थित होने में असमर्थता व्यक्त करते हुये कहा है कि "मैं वर्तमान में भारतीय सेना में कार्यरत हूँ और सरकारी सेवा के कारण छुट्टी पाने में असमर्थ हूँ। इसलिए, मैं निर्धारित तिथि पर फोरम के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। यदि संभव हो तो मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/ऑनलाइन माध्यम से सुनवाई में शामिल होने की अनुमति देने का अनुरोध करता हूँ। वैकल्पिक रूप से, मेरा अनुरोध है कि मुझे मेरी ओर से उपस्थित होने और आवश्यक दस्तावेज एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए किसी प्रतिनिधि/परिवार के सदस्य को अधिकृत करने की अनुमति दी जाए। यदि दोनों में से कोई भी विकल्प संभव न हो, तो मैं विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूँ कि मेरे आधिकारिक कर्तव्यों की प्रतिबद्धताओं द्वारा अनुमति मिलने के बाद मुझे व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए कोई अन्य तिथि प्रदान करने की कृपा की जाए। मैं सभी written submissions जमा कर के लिए तैयार हूँ।"
4. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांकित 21.09.2026 में कहा गया है कि पी0एम0 सूर्य घर योजना से आर.टी.एस–1 संयोजन ही आच्छादित हैं। उपभोक्ता द्वारा आर.टी.एस–9 संयोजन–41600184499 पर उक्त लाभ चाहा जा रहा है। उपभोक्ता के परिसर पर नए लगे स्थायी संयोजन 42600228034 पर सोलर प्लांट कनेक्टेड है जो कि वर्तमान में नान सोलर होने के कारण स्थापित मीटर नेट मीटरिंग मोड में नहीं है। उचित होगा कि उपभोक्ता नए सयंजोन 42600228034 पर पी एम सूर्य घर योजना हेतु आवेदन कर ले।
5. मंच द्वारा पत्रावली का सम्यक रुप से परिशीलन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में पी०एम० सूर्यघर योजना के तहत सोलर प्लांट की स्थापना के संबंध में शिकायत की गयी है। इस प्रकार की शिकायत को सुनने का अधिकार इस मंच को प्राप्त नही है। परिवादी ने यदि अपने वेंडर तथा लाईसेंसी (UPCL) के साथ कोई अनुबंध किया है तो वह उक्त अनुबंध की शर्तो के आधार पर सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख शिकायत कर सकता है। वर्तमान में सोलर रूफ टॉप के संबंध में माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग का कोई विनियम भी नहीं होने के कारण यह शिकायत मंच में पोषणीय नहीं है। अतः वाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वय वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून–248006, के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–22/09/2026

(हिमांशु बहुगुणा)	(ब्रह्म पाल)	(विष्णु प्रसाद डोभाल) 22/09/2026
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में मिति हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः–22/09/2026

(हिमांशु बहुगुणा)	(ब्रह्म पाल)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी, जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–ब्रह्म पाल, सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–121/2026
पंजीकरण तिथि–24.08.2026
निर्णय तिथि–22.09.2026

प्रेम सिंह परिवादी
नियर अम्बिका धर्मकाटा
गैस गोदाम रोड
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
कमलवागांजा, हल्द्वानी।

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र में कहा गया है कि प्रार्थी विभागीय रिटायर्ड व्यक्ति है, जिसका 12/2025 में स्मार्ट मीटर लगा था, तब से अभी तक प्रार्थी के पास न कोई हार्ड कॉपी व कोई SMS बिल प्राप्त हुआ,साथ ही विभाग में बिल का पता करने पर पता चला की बिल सभी सेटेलमेंट के बाद मात्र–201 माह जुलाई–2026 तक है किन्तु जमा करने प्राप्त पता चला कि बिल–38637 दिखा रहा है, अतः महोदय से निवेदन है कि, प्रार्थी की इन सभी समस्याओं का निवारण जल्द से जल्द करने की कृपा करें,।
2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 05.09.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता का माह अगस्त 2026 में विद्युत बिल बना दिया गया हैं।
3. दिनांक 07.09.2026 को पत्रावली प्रस्तुत हुई। उभय पक्ष मंच में प्रयत्क्ष रूप से उपस्थित हुये। मंच द्वारा विपक्षी को निर्देशित किया गया कि दिनांक 15.09.2026 तक संशोधित बीजक मंच के समक्ष प्रस्तुत करें।
4. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 14.09.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता का Additional Security Deposite अमाउंट घटा दिया गया हैं तथा उपभोक्ता को मात्र रु० 200 का विद्युत बिल जमा करना हैं।
5. मंच द्वारा वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 22.09.2026 की तिथि नियत की गई। सुनवाई हेतु विपक्षी/विभाग के प्रतिनिधि (SDO) मंच में सुनवाई हेतु उपस्थित हुए, जबकि परिवादी अनुपस्थित रहे। विपक्षी द्वारा उपभोक्ता की शिकायत पर तर्कों को सुना गया।

विपक्षी / विभाग द्वारा उपभोक्ता की शिकायत का समाधान कर दिए जाने के पश्चात वाद आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

आदेश

विपक्षी / विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत के समाधान कर दिए जाने के फलस्वरुप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन / अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः—22 / 09 / 2026

22/09/2026

(हिमांशु बहुगुणा)	(ब्रह्म पाल)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः—22 / 09 / 2026

(हिमांशु बहुगुणा)	(ब्रह्म पाल)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी, जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–ब्रह्म पाल, सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–123/2026
पंजीकरण तिथि–25.08.2026
निर्णय तिथि–07.09.2026

राजीव ओबेरॉय
रक्षा रिट्रीट
भीमताल
जिला–नैनीताल।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
नैनीताल।

विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र में कहा गया है कि "**I respectfully submit that a penalty/demand of Rs. 1,42,419/- has been imposed on my electricity connection following an inspection of my premises, on the ground that the premises is being used as a Bed & Breakfast (B&B) and therefore constitutes a commercial establishment.**

I respectfully dispute the said demand. The premises is being operated as a registered Homestay/B&B under the applicable Government tourism scheme. The Central Government's Ministry of Tourism guidelines recognize Bed & Breakfast and Homestay establishments under the same tourism framework.

Further, the Uttarakhand Government's policy framework recognizes eligible registered Homestays as domestic consumers for electricity-related purposes. Therefore, merely operating a registered B&B/Homestay cannot, by itself, be a valid ground for treating the entire premises as a commercial electricity connection.

The penalty was also imposed without giving me any prior notice or reasonable opportunity to explain the nature and legal status of the premises or to produce the relevant registration and Government documents.

I therefore request the Hon'ble Forum to kindly:

1. **Set aside the penalty/demand of Rs. 1,42,419/-;**
2. **Direct UPCL to reconsider the tariff classification in accordance with the applicable UERC regulations and Uttarakhand Homestay policy;**

3. **Direct restoration/continuation of the applicable domestic tariff, if the premises is found eligible;**
4. **Provide the complete inspection report and detailed calculation/basis of the disputed demand; and**
5. **Grant me an opportunity of personal hearing before taking any further action.**

I shall be grateful for your kind and early intervention in the matter."

2. विपक्षी / विभाग द्वारा प्रस्तुत बिन्दुवार उत्तर पत्र दिनांकित 05.09.2026 में कहा गया है कि:–

1–उपभोक्ता के परिसर पर दिनांक 04.04.2025 को विद्युत विभाग एवं विजिलेंस के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण एवं चैकिंग की गयी। जिसमें उपभोक्ता द्वारा घरेलू विद्युत संयोजन से एक अन्य होम स्टे संचालित किया जा रहा था।

2–उपभोक्ता द्वारा उपयोग किया गया घरेलू सयोजन अनाधिकृत पाया गया था। जिसके तहत विभागीय कार्यवाही करते हुऐ विभाग द्वारा रु० 142419.00 का राजस्व निर्धारण किया गया है। यद्यपि उपभोक्ता द्वारा दिनांक 08.05.2025 को उक्त धनराशि का भुगतान कर दिया गया है।

3–उपभोक्ता को पूर्व में प्रेषित कार्यालय पत्रांक संख्या–732 दिनांक 08.05.2025 के माध्यम से भी यह अवगत कराया गया है कि आपका परिसर माननीय विद्युत नियामक आयोग के टैरिफ के अनुसार दीन दयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है। जिस कारण उपभोक्ता का संयोजन घरेलू विधा में न होकर अघरेलू विधा की श्रेणी में पाया गया है।

4–उक्त प्रकरण राजस्व निर्धारण, विद्युत अधिनियम की धारा 126 के अन्तर्गत ही किया गया है। उक्त क्रम में ही माननीय मंच को स्मरण होगा कि विद्युत राजस्व निर्धारण सम्बन्धित प्रकरण सक्षम न्यायालय द्वारा ही विचाराधीन होते हैं।

5–उक्त प्रकरण से सम्बन्धित कई वाद माननीय मंच द्वारा पूर्व में भी अवलोकन करने एवं आपके अधिकार क्षेत्र में न होने के कारण खारिज किये गये हैं।

अतः माननीय मंच से अनुरोध है कि उक्त प्रकरण का अवलोकन कर वाद को खारिज करने का कष्ट करें।

3. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के अंतर्गत विपक्षी द्वारा उपभोक्ता पर किए गए राजस्व निर्धारण से संबंधित है। इस मंच को धारा 126 के तहत किए गए निर्धारण के संबंध में सुनवाई करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। धारा 126 के अंतर्गत किए गए निर्धारण को धारा 127 के तहत संबंधित सक्षम न्यायालय में ही चुनौती दी जा सकती है। अतः उक्त प्रकरण मंच के अधिकार क्षेत्र में नहीं होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत प्रकरण मंच के अधिकार क्षेत्र में नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्मैन, 80 बसंत विहार,

देहरादून–248006, के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–07/09/2026

07/09/2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(ब्रह्म पाल)
सदस्य (तकनीकी)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः–07/09/2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(ब्रह्म पाल)
सदस्य (तकनीकी)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरमः– 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2– ब्रह्म पाल, सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–124/2026
पंजीकरण तिथिः–05.09.2026
निर्णय की तिथिः–22.09.2026

पी0एस0 बिष्ट वाल, परिवादी
कुरिया गांव, लामाचौड़, हल्द्वानी,
जिला–नैनीताल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी (ग्रामीण)।

निर्णय

1. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है कि:– उपरोक्त कनेक्सन का फरवरी 2026 से बिल नहीं आ रहा है। इस विषय पर विद्युत कार्यालय में तथा आनलाईन शिकायत की गयी है लेकिन मीटर रीडर और बिल नहीं आ रहे हैं। कृपया कारवाई करें और बिल माह में विभाजित कर चार्ज करें ।

2. विपक्षी/विभाग द्वारा दिनांक 14.09.2026 को अपने उत्तर पत्र में कहा गया है कि शिकायतकर्ता श्री पान सिंह (संयोजन संख्या–**391E301066509**) का विद्युत बिल बनाते समय सिस्टम द्वारा **ERROR** दिखा रहा हैं, जिस कारण शिकायतकर्ता का विद्युत बिल नहीं बन पा रहा हैं।

3. विपक्षी/विभाग द्वारा दिनांक 21.09.2026 को अपने उत्तर पत्र में कहा गया है कि शिकायतकर्ता श्री पान सिंह (संयोजन संख्या–**391E301066509**) का विद्युत बिल में पूर्व में 6839 रीडिंग पर बना हैं, जबकि वर्तमान में उपभोक्ता के मीटर की रीडिंग 2568 हैं जिससे प्रतीत होता हैं कि उपभोक्ता का मीटर बैक हो गया हैं, वर्तमान में उपभोक्ता का **IDF** में बिल बना दिया गया हैं।

4. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवादी को फरवरी से बिल न मिलने संबंधी शिकायत पर विपक्षी ने 24 सितंबर 2026 को रू. 596 का बिल जारी कर शिकायत का समाधान तो कर दिया है परंतु मीटर खराब होने संबंधी आख्या भी प्रस्तुत की है। अतः भविष्य में वास्तविक खपत के बीजक के लिए परिवादी का वर्तमान मीटर तत्काल बदल जाना आवश्यक है। विपक्षी ने परिवादी को 21.09.2026 को जो बिल जारी किया है वह मंच के मत में उचित टैरिफ स्लैब पर नियमानुसार जारी किया है। अतः वाद को आगे चलने का कोई औचित्य नहीं हैं।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की बिल संबंधी शिकायत का समाधान कर दिया है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी का खराब मीटर बदलकर 30 दिन के भीतर मंच में अनुपालन आख्या प्रस्तुत करें। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–22.09.2026

22/9/26 29/9/2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(ब्रह्म पाल)
सदस्य (तकनीकी)

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।
दिनांकः–22.09.2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(ब्रह्म पाल)
सदस्य (तकनीकी)

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–ब्रह्म पाल, सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या–126 / 2026
पंजीकरण तिथि–09.09.2026
निर्णय तिथि–15 .09.2026

भगवती देवी परिवादी
पत्नी धनश्याम सिंह
दमुआढूंगा, मिश्रा हाउस के पास
काठगोदाम
जिला–नैनीताल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड(नगर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
तिकोनिया, हल्द्वानी।

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र में कहा गया है कि "मैं भगवती देवी (पत्नी श्री घनश्याम सिंह), दमुआढूंगा, मिश्रा हाउस के पास की निवासी हूँ। मेरा अकाउन्ट नंबर–41600987354 है। प्रार्थी इस आवेदन के माध्यम से निम्नलिखित समस्या आपके समक्ष निवारण हेतु प्रस्तुत कर रही है–
 1. यह कि प्रार्थी के घर पर लगे बिजली मीटर की डिस्प्ले पूरी तरह खराब हो चुकी है, जिसके कारण मीटर की करंट रीडिंग देखना असंभव हो गया है।
 2. यह कि इस समस्या के निवारण हेतु प्रार्थी द्वारा दिनांक 16.08.2026 को आधिकारिक टोल–फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसका शिकायत नंबर–2160826039 है।
 3. यह कि टोल–फ्री शिकायत दर्ज होने के बाद भी आज दिनांक तक विद्युत विभाग द्वारा न तो मीटर बदला गया है और न ही कोई तकनीकी कर्मचारी निरीक्षण के लिए आया है।
 4. यह कि मीटर रीडिंग न आने के कारण प्रार्थी को भविष्य में गलत या अधिक रीडिंग बिल आने का डर बना हुआ है।

अतः माननीय मंच से विनम्र प्रार्थना है कि हमारी इस शिकायत का संज्ञान लेते हुए, विभाग को जल्द से जल्द हमारा खराब मीटर बदलने या ठीक करने हेतु निर्देशित करने

की कृपा करें। ताकि मेरी समस्या का समाधान हो सके और मैं समय से अपना बिल जमा कर सकूं।

2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 14.09.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता के परिसर पर पुराना मापक परिवर्तित कर नया मापक स्थापित कर दिया गया है। मापक की सीलिंग प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।
3. परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर/संतुष्टि पत्र 14.09.2026 में कहा गया है कि इस पत्र के माध्यम से मैं CGRF के सभी माननीय सदस्यों का सहृदय धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैंने विभाग में अपने खराब विद्युत मीटर को बदलने के संबंध में एक शिकायत दर्ज कराई थी। आपके त्वरित हस्तक्षेप और कुशल मार्गदर्शन के कारण विभाग द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई है। विभाग के कर्मचारियों ने मेरे परिसर का दौरा किया और मेरे पुराने खराब मीटर को हटाकर उसकी जगह एक नया स्मार्ट मीटर सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया है। अब मेरी समस्या का पूरी तरह से समाधान हो चुका है।

 उपभोक्ताओं की समस्याओं को गंभीरता से सुनने और उनका इतनी जल्दी निवारण करने के लिए CGRF की पूरी टीम का आभार। आपकी यह कार्यप्रणाली बिजली विभाग के प्रति उपभोक्ताओं के विश्वास को और मजबूत करती है। एक बार फिर आपके सहयोग के लिए बहुत–बहुत धन्यवाद।

4. मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र व परिवादी के संतुष्टि पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का निराकरण कर दिया गया है। जिस कारण वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के व परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः– 15 /09/2026

15/09/2026 15/09/26

(हिमांशु बहुगुणा)	(ब्रह्म पाल)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः– 15/09/2026

(हिमांशु बहुगुणा)	(ब्रह्म पाल) 15/9/2026	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जि–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्या यि)
2–ब्रह्म पाल, सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या–127 / 2026
पंजीकरण तिथि–11.09.2026
निर्णय तिथि–22.09.2026

ग ती देवी
ग शो लाल,
भगवानपुर बिचला
ह पुरिनायक, हल्द्वा नी
जिला–नैनीताल।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
कमलवागांजा, हल्द्वा नी

प्रतिवादी

निर्णय

1. प रिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रकाश पत्र में कहा गया है कि "I am writing to formally escalate my meter-change complaint registered with Uttarakhand Power Corporation Limited (UPCL) on 22 May 2026.

Account Holder: Geeta Devi
UPCL Account No.: 40119676896
Service Request No.: 12205260125
Date of Original Complaint: 22 May 2026
Address: Ganesh Lal, Bhagwanpur Bichla, Haripur Nayak, Haldwani, Uttarakhand
Concerned Area/UPCL Office: Kamalwaganja, Haldwani
Mobile No.: 7409450460

The above complaint has remained pending for several months without resolution. I have contacted the concerned UPCL office/field staff in the Kamalwaganja area by phone regarding the matter. However, despite my follow-up, no effective action or clear response has been provided regarding the pending meter-change request.

I therefore request the concerned authority to kindly take up this matter on priority and direct the appropriate field officer/department to process and complete the meter replacement at the earliest.

I specifically request that:

1. The current status and reason for the prolonged delay in processing Service Request No. 12205260125 be communicated to me.
2. The appropriate officer/field staff in the Kamalwaganja area be directed to take immediate action on the pending meter-change request.
3. A definite timeline for completion of the meter replacement be provided.
4. The matter be treated as a formal escalation of my already pending complaint, which has remained unresolved since 22 May 2026.
5. I be provided with a written response regarding the action taken on this escalation.

I request the Consumer Grievance Redressal Forum to kindly intervene in this matter and ensure that the pending meter-change work is resolved without any further unnecessary delay. I am enclosing the available complaint/status details for reference.

2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 21.09.2026 में कहा गया है कि शिकायतकर्ता श्रीमती गीता देवी द्वारा मीटरिंग से सम्बन्धी शिकायत के सापेक्ष अवगत कराना है कि उपभोक्ता का मीटर बदल दिया गया है।
3. मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों का अवलोकन किया गया, जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का निराकरण कर दिया गया है। जिस कारण वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–22/09/2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(ब्रह्म पाल)
सदस्य (तकनीकी)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में नदि तिथि हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित किया।

दिनांकः–22/09/2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(ब्रह्म पाल)
सदस्य (तकनीकी)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL FORUM
KUMAOUN ZONE, HALDWANI

Case No.: 133/2026

Shri/Smt. महेश गोस्वामी, **V/S** **Executive Engineer..Haldwani (R)**

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next Date
	23/09/2026	आदेश विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने व उपभोक्ता द्वारा दूरभाष के माध्यम से अपनी शिकायत का समाधान कर दिये जाने पर अपनी संतुष्टि व्यक्त की है। उपभोक्ता की शिकायत के समाधान हो जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।	निस्तारित

सदस्य (उपभोक्ता)
वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी

सदस्य (तकनीकी)
वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी

सदस्य (न्यायिक)
वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी, जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–आर0एस0 गुंज्याल, सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–04202607100002
पंजीकरण तिथि–13.07.2026
निर्णय तिथि–22.09.2026

मोहन सी जोशी — परिवादी
ग्राम–रामड़ी आन सिंह
गांधी आश्रम के पास
पो0ओ0–फतेहपुर
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
कमलवागांजा, हल्द्वानी।

निर्णय

1. परिवादी द्वारा CGRF, Complaint पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत प्रस्तुत करते हुये कहा गया है कि "Sir i am enclosing the receipted copy of my complaint. It has been more than a month, no action has been taken against it. Sub Station Kamaluaganja and kathghariya were approached to the rectify the complaint many times but no action has been taken."
2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत दिनांक 17.07.2026 को मंच के समक्ष उत्तर पत्र प्रस्तुत किया गया। विपक्षी द्वारा अवगत कराया गया कि चैक मापक न लगने की शिकायत आज दिनांक तक अवर अभियन्ता(मापक) के पास लम्बित है।
3. मंच द्वारा उत्तर पत्र का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि परिवादी द्वारा चैक मापक शुल्क दिनांक 10.06.2026 को जमा करा दिये जाने के बाद भी अभी तक परिवादी के परिसर पर चैक मापक स्थापित नहीं किया गया है। उक्त के क्रम में मंच द्वारा विपक्षी को निर्देशित किया गया कि दिनांक 23.07.2026 को सुनवाई में उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण मंच के समक्ष प्रस्तुत करें कि परिवादी द्वारा चैक मापक शुल्क जमा करने के पश्चात अद्यतन तिथि तक चैक मापक स्थापित करने में हो रहे विलम्ब के लिये परिवादी को क्षतिपूर्ति क्यों न दिलायी जाये?
4. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 30.07.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता द्वारा चैक मापक ना लगाने की जो शिकायत की गयी थी, उक्त वाद में उपभोक्ता के परिसर में चैक मापक लगा दिया गया है। जिसकी सीलिंग संलग्न है,

आपको यह भी अवगत कराना है कि उपरोक्त शिकायत दिनांक 10.06.2026 से विद्युत परीक्षणशाला के अवर अभियंता की ID मे लम्बित थी, जिस वजह से देरी के लिए मान ीय मंच से क्षमा प्रार्थी है।

5. मंच द्वारा वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 04.08.2026 की तिथि नियत की गयी। सुनवा ई हेतुविभागीय प्रतिनिधिर उपस्थित हुये जबकि परिवादी अनुपस्थित रहे। सुनवाई के दौरान मंच द्वारा विपक्षी/विभाग को निर्देशित किया गया कि दिनांक 20.08.2026 तक चैक मापक रिपोर्ट मय आख्या मंच में प्रस्तुत करे।
6. विपक्षी/विभाग द्वारा दिनांक 04.08.2026 को हुई सुनवाई के क्रम में पत्र(पत्रांक–1053 दिनांक 20.08.2026) प्रस्तुत कर अतिरिक्त समय की मांग की गयी। जिसे स्वीकृत करते हुये मंच द्वारा दिनांक 27.08.2026 की तिथि नियत की गयी। दिनांक 27.08.2026 को विपक्षी/विभाग द्वारा मंच के समक्ष चैक मापक फाईनल रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। जिसे परिवादी को प्रेषित किया गया।
7. मंच द्वारा वाद पर पुनः सुनवाई हेतु दिनांक 07.09.2026 की तिथि नियत की गयी। सुनवाई हेतु उभय पक्ष मंच में उपस्थित। उभय पक्षों के तर्कों को सुना गया परिवादी की मांग पर मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया गया कि परिवादी के परिसर में स्थापित मापकों की को बदलकर नया स्मार्ट मापक स्थापित किया जाय।
8. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांक 19.09.2026 को सीलिंग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि पुराने तीनों मीटरों को हटाकर एक नया स्मार्ट मीटर लगा दिया गया है।
9. मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है। अतः वाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी/ विभाग द्वारा प की दीकी कायत का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरुप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–22/09/2026

22/09/2026 22/09/2026

(हिमांशु बहुगुणा)	(ब्रह्म पाल)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घ षित।

दिनांकः–22/09/2026

(हिमांशु बहुगुणा)	(ब्रह्म पाल)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी, जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–ब्रह्म पाल, सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–04202608030001
पंजीकरण तिथि–04.08.2026
निर्णय तिथि–07.09.2026

जशोधर दास
ग्राम–बूढ़ी बाना
वाया कसिया लेख
जिला–नैनीताल।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
नैनीताल।

विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा CGRF, Complaint पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत प्रस्तुत करते हुये कहा गया है कि "Bill of Rs 40,499 has been issued even though all bills have been paid regularly. The meter reading shows a sudden increase. Meter needs checking. Kindly permit me to delay payment until matter is settled."
2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 24.08.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता के विद्युत बिल में संशोधन कर दिया गया है। उपभोक्ता के विद्युत बिल में दिनांक 24.08.2026 को रु0 17607.00 का adjustment कर दिया गया है। CCBR adjustment करने के उपरान्त उपभोक्ता का विद्युत बिल रु0 24596.00 का बना है।"
3. परिवादी द्वारा ईमेल के माध्यम से प्रस्तुत प्रतिउत्तर/संतुष्टि पत्र दिनांकित 27.08.2026 में कहा गया है कि "महोदय, आपके पत्र के लिए धन्यवाद। मैं संतुष्ट हूं। शेष राशि का भुगतान कर दिया है। आपके सहयोग के लिए बहुत धन्यवाद।"
4. मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र के अवलोकन व परिवादी के संतुष्टि पत्र से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का निराकरण कर दिया गया है। जिस कारण वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश

विपक्षी द्वारा प्रतिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के व परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः—07 / 09 / 2026

07/09/2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(ब्रह्म पाल)
सदस्य (तकनीकी)

07/09/2026

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः—07 / 09 / 2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(ब्रह्म पाल)
सदस्य (तकनीकी)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरमः– 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2– ब्रह्म पाल, सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–04202608070001
पंजीकरण तिथिः–07.08.2026
निर्णय की तिथिः–05.09.2026

त्रिभुवन चन्द्र, परिवादी
पैलेस रिजॉर्ट, आर्माडेल,
कम्पाउंड मल्लीताल,
जिला–नैनीताल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
नैनीताल।

निर्णय

1. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है किः– "Your department is generating bill much prior to the end of month. For your kind information, as per your bill generated on 19 March 2026 bill for 23 days, on 14 May 2026 bill for 26 days, on 7 June 2026 bill for 24 days, on 6 Aug bill for 25 days."

2. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में निम्न बिन्दुओं से अवगत कराया हैः–
 (1) उपखण्ड अधिकारी की आख्या अनुसार उपभोक्ता का विद्युत भार 3 किलोवाट है जो कि वर्ष 2025 एवं 2026 के 12 माह के बिल निर्गत किये गये है जिसमें 12 माह का ही फिक्स चार्ज लिया गया है।
 (2) एफ०पी०पी०सी०ए० चार्ज उपभोक्ता द्वारा की गयी उपभोग यूनिट के आधार पर किया गया है। उपभोक्ता से कोई भी अतिरिक्त माह का विद्युत बिल का भुगतान नहीं लिया गया है।
 (3) उक्त कम में उपभोक्ता के मापक की कनज्यूमर हिस्ट्री संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

3. परिवादी द्वारा दिनांकित 05.09.2026 को अपने संतुष्टि पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि– **"Thanks for your response. I want to close my grievance. Hence, it is requested to close my complaint to my satisfaction on your response. With regards"**

4. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादी की बिलिंग से संबंधित शिकायत का निराकरण कर दिया गया है, जिस पर परिवादी ने भी अपनी संतुष्टि मंच के समक्ष व्यक्त की है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने एवं परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–05.09.2026

05/09/2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(ब्रह्म पाल)
सदस्य (तकनीकी)

05/09/2026

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।
दिनांकः–05.09.2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(ब्रह्म पाल)
सदस्य (तकनीकी)

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी, जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–ब्रह्म पाल, सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–04202608080002
पंजीकरण तिथि–10.08.2026
निर्णय तिथि–08.09.2026

श्रीष चन्द्र कुवाला परिवादी
जस्सागांजा
रामनगर
जिला–नैनीताल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
रामनगर।

निर्णय

1. परिवादी द्वारा CGRF, Complaint पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत प्रस्तुत करते हुये कहा गया है कि "महोदय विद्युत खाता संख्या 41700855791 का माह जुलाई का बिल आश्चर्यजनक रूप से 874 यूनिट का आ गया है, जबकि मेरा विद्युत खर्च माह में 100 यूनिट के आस पास है। जिससे लगता है मीटर में कुछ गड़बड़ हुआ है, अतः मेरा बिल ठीक करने की कृपा करें।"
2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 25.08.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता के वर्तमान तक के बिल हिस्ट्री व मापक की रीडिंग की जांच करने पर वास्तविक मीटर रीडिंग के आधार पर ही विद्युत बिल निर्गत किये गये हैं। जो सही है। अतः उक्त सयोजन में बिल संशोधन किया जाना अपेक्षित नहीं। बिल हिस्ट्री एवं लेजर की प्रति संलग्न की जा रही है।
3. परिवादी द्वारा ईमेल के माध्यम से प्रस्तुत प्रतिउत्तर/आपत्ति दिनांकित 28.08.2026 में कहा गया है कि "उपरोक्त शिकायत के प्रतिउत्तर में विभाग द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण एवं कार्यवाही से पूर्णतः असन्तुष्ट हूँ। उपरोक्त सम्बंध में निम्न लिखित बिन्दुओं का संज्ञान लें।
 1. मेरी शिकायत मापक की रीडिंग के बारे में न होकर मीटर में यांत्रिक गड़बड़ी के कारण अप्रत्याशित रूप से अधिक रीडिंग आने को लेकर है।
 2. जैसा कि बिल हिस्ट्री से ज्ञात होता है कि नियमित रूप से प्रतिमाह बिल लगभग 100 यूनिट एवरेज का होता है। जांच के लिये पिछले एक–दो वर्ष की बिल हिस्ट्री भी देखी जा सकती है।

3. रीडिंग में अचानक 8 या 9 गुना वृद्धि होना मीटर की गड़बड़ी को दर्शाता है। ध्यान रहे उपरोक्त कनैक्शन विशुद्ध रूप से घरेलू है।
4. मेरे द्वारा मीटर की नियमित माप देखने पर पाया गया है कि किसी भी दिन अचानक ही 200 या 300 यूनिट माप बढ़ जाती है जो मीटर के जम्प लेने से होती है।
5. अतः निवेदन है कि मेरे मीटर की यांत्रिक जांच की जाय तथा इसे बदलकर नया मीटर लगवाने की कृपा की जाय। इस हेतु नियमित शुल्क आदि मैं देने को तैयार हूँ।
6. मेरे 29–07–2026 एवं 22–08–2026 के बिलों को संशोधित कर मेरी बिल हिस्ट्री के आधार पर पुनः बिल दिया जाय जिसका मैं समय से भुगतान कर सकूँ।
7. भुगतान में होने वाली किसी भी प्रकार की देरी, पैनाल्टी, ब्याज आदि के लिये विभाग पूर्णतः जिम्मेदार होगा। ज्ञात हो मैं एक नियमित समय से भुगतान करने वाला उपभोक्ता हूँ।

4. मंच द्वारा वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 08.09.2026 की तिथि नियत की गयी। सुनवाई हेतु विपक्षी प्रयत्क्ष रूप से मंच के समक्ष उपस्थित हुये जबकि परिवादी अनपस्थित रहे। मंच द्वारा, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों का अवलोकन किया गया।
5. अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को वास्तविक मीटर रीडिंग के आधार पर ही बिल निर्गत किए गए हैं। यदि परिवादी को मीटर तेज चलने की शंका है तो वह विपक्षी/विभाग कार्यालय में चैक मापक हेतु आवेदन कर सकता है। वास्तविक रीडिंग पर जारी बिल में संशोधन का आदेश यह मंच पारित नहीं कर सकता। अतः वाद खारिज की जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बड्मैन, 80 बसंत विहार, देहरादून–248006, के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–08/09/2026

(हिमांशु बहुगुणा)	(ब्रह्म पाल)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः–08/09/2026

(हिमांशु बहुगुणा)	(ब्रह्म पाल)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी, जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–ब्रह्म पाल, सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–04202608110001
पंजीकरण तिथि–12.08.2026
निर्णय तिथि–23.09.2026

ओमकार सरन
मोती महल
नियर टाटा टावर
रामनगर
जिला–नैनीताल। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
रामनगर। विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा CGRF, Complaint पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत प्रस्तुत करते हुये कहा गया है कि–

1. **Details of the Connection & Disputed Bill**

- **Meter Serial Number: UPC03257**
- **Sanctioned Contract Load: 6.00 kW / 6.00 kVA**
- **Disputed Bill Month: June 2026 (Bill Date: 04/07/2026)**
- **Disputed Penal Amount: ₹3,848.00 levied under "Fixed / Demand Charges for Excess Load" (Total net amount paid: ₹5,503.00).**

2. **Brief Facts and Grounds for Grievance**

- **A. The Erroneous Maximum Demand Indicator (MDI) Spike: As per the electricity bill and meter records for June 2026, the utility levied heavy penalties for an alleged Maximum Demand Indicator (MDI) spike of 18.40 kW recorded on 29/06/2026 at 07:00 AM (logged under History 1, TOD/SLAB 3). The consumer categorically states that no heavy machinery or commercial equipment was operational on the premises during that date and time.**

- **B. Mathematical Impossibility (Consumption vs. Demand Contradiction): The total active energy consumption (Main Consumption — History 1) recorded for the entire billing month of June 2026 is a mere 26.00 kWh (29.00 kVAh). An operational load of 18.40 kW active power is physically incompatible with a total monthly consumption of 26 kWh, which averages out to less than 40 Watts continuously. This glaring statistical contradiction proves conclusively that the 18.40 kW MDI reading is an internal meter transient glitch, firmware anomaly, or digital error rather than actual power consumption.**
- **C. Historical Billing Trend Analysis (Outlier Anomaly):**

A review of the connection's historical payment track record demonstrates consistent monthly billing amounts ranging strictly between ₹1,004 and ₹1,786 over previous cycles (January 2026 to August 2026). The disputed June bill abnormally balloons to ₹5,503.00 purely because of the unverified excess load penalty. This sudden, unprecedented jump in billing with no corresponding change in commercial activity or equipment further corroborates that the recorded MDI spike is an isolated system or meter artifact.

- **D. Bill Already Paid to Avoid Interest Charges:**

To comply with departmental suggestions, prevent disconnection, and avoid compounding interest or late payment surcharges, the Complainant has already paid the full bill amount of ₹5,503.00 under protest. The inclusion of the ₹3,848.00 excess load charge is unjust, and the payment was made solely under duress while reserving the right to contest the erroneous demand.

3. <u>Prayer / Relief Sought</u>

In light of the facts, historical consumption patterns, data contradictions apparent in the records, the Complainant respectfully prays that this Hon'ble Forum may be pleased to:

1. **Order Refund / Adjustment: Direct the Respondent utility to immediately refund or credit back ₹3,848.00 (the wrongfully collected excess load demand charges) into the Complainant's electricity account/subsequent bill.**
2. **Order Technical Verification: Order an inspection and downloading of the raw 30-minute interval Load Survey data from meter UPC03257 to officially verify the nature of the transient spike on 29/06/2026.**
3. **Rectification of Billing Records: Direct the utility to clear the account of any erroneous default tags related to this disputed load spike.**

<u>Verification:</u>

Verified at Ramnagar, Uttarakhand, that the contents of this complaint are true and correct to the best of my knowledge and belief."

2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 25.08.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता के बिल बिल हिस्ट्री एवं एम०आर०आई० की जाँच करने पर एम०आर०आई० रिपोर्ट में एम०डी० 18.40 कि०वा० पायी गयी है, तथा एम०आर०आई० रिपोर्ट के आधार पर ही उपभोक्ता को विद्युत बिल निर्गत किये गये हैं।

अतः उक्त संयोजन में बिल संशोधन किया जाना अपेक्षित नहीं। एम०आर०आई० रिपोर्ट, बिल हिस्ट्री एवं लेजर की प्रति संलग्न की जा रही है।

3. परिवादी द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांकित 02.09.2026 में कहा गया है कि "I am writing to kindly follow up on the formal complaint I submitted on August 11, 2026, regarding the

erroneous MDI charges levied on my electricity bill for the billing period of June 2026 (Account No. 40109892620).

As previously detailed, the bill included a penalty of ₹3,848.00 based on an MDI spike of 18.40 kW, which contradicts my historical consumption and operational data. I have already paid the full amount of ₹5,503.00 under protest to avoid any disconnection or additional surcharges.

Could you please provide an update on the status of my complaint and the anticipated timeline for the refund/adjustment?"

4. मंच द्वारा उक्त वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 08.09.2026 की तिथि नियत की गयी। सुनवाई हेतु विभागीय प्रतिनिधि (SDO) उपस्थित हुये जबकि परिवादी अनुपस्थित रहे। मंच द्वारा विपक्षी को सुना गया।

परिवादी द्वारा दिनांक 07.09.2026 को ईमेल के माध्यम से पत्र प्रस्तुत कर कहा गया कि **"I am writing to urgently follow up on my previous request submitted regarding Case No. 04202608110001 (Consumer A/C No. 40109892620), which is scheduled for hearing tomorrow, September 8, 2026, at 11:00 AM.**

As I have not yet received a response or a video conferencing link, I am writing to reiterate my humble request to kindly permit a virtual hearing. Due to strict family caregiving responsibilities following the passing of my mother—being the sole caretaker for my elderly grandparents, father, and younger sister—coupled with my remote professional duties in Deloitte and the two-hour travel distance from Ramnagar to Haldwani, physical presence is extremely difficult.

I am fully prepared with all documentary evidence (disputed bill, payment receipt under protest, historical billing trend charts, and MRI report data contradictions) to present my case online.

Kindly share the video conference link, platform details, or instructions at the earliest so that I can join and represent the case tomorrow without default. Thank you for your kind consideration and urgent support"

सुनवाई के दौरान मंच द्वारा विपक्षी/विभाग को निर्देशित किया गया कि परिवादी के परिसर का स्थलीय निरीक्षण कर लोड सर्वे रिपोर्ट दिनांक 19.09.2026 तक प्रस्तुत करे।

5. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांकित 22.09.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता के परिसर का स्थलीय निरीक्षण किया गया जिसमें उपभोक्ता के परिसर पर निम्नलिखित संयोजित भार पाया गया।

1– 10 HP Motor — 01 Nos.

2– Fan 70 Watts/Per — 02 Nos.

महोदय को यह भी अवगत कराना है कि उपभोक्ता के मापक की एम०आर०आई० दिनांक 24.07.2026 से पूर्व की लोड सर्वे रिपोर्ट नहीं निकल पा रही है, दिनांक 25.07.

2026 से दिनांक 21.09.2026 तक की लोड सर्वे रिपोर्ट 181 पृष्ठ ई–मेल के माध्यम से प्रेषित की जा रही है।

6. पूर्व में मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवादी की पूर्व में MDI दिनांक 06.07.2025 से लेकर 25.05.2026 तक 4.08 Kw से लेकर 6.14 Kw तक ही रही थी। अतः 29.06.2026 की MDI false प्रतीत हो रही है और सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता ने दिनांक 22.09.2026 को पत्र द्वारा अवगत कराया है कि July 2026 से पूर्व की मापक की MRI व लोड सर्वे रिपोर्ट नहीं निकल पा रही है। दिनांक 29.06.2026 के बाद भी कभी डिमाड़ स्वीकृत भार से अधिक नहीं रही है। जून माह में परिवादी की खपत भी पूरे महीने की मात्र 29 यूनिट ही है। अतः MRI रिपोर्ट/कंज्यूमर हिस्ट्री एवं फील्ड सर्वे रिपोर्ट के अवलोकन के बाद मंच का मत है कि Excess Load Penalty को हटाकर संशोधित बिल निर्गत किया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

वाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी/विभाग को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को जारी बीजक दिनांक 04.07.2026 से Excess Load Penalty हटाते हुए बीजक संशोधित करें। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–23/09/2026

23/09/2026 | 23/09/2026

(हिमांशु बहुगुणा) सदस्य (उपभोक्ता) | (ब्रह्म पाल) सदस्य (तकनीकी) | (विष्णु प्रसाद डोभाल) सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः–23/09/2026

(हिमांशु बहुगुणा) सदस्य (उपभोक्ता) | (ब्रह्म पाल) सदस्य (तकनीकी) | (विष्णु प्रसाद डोभाल) सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरमः– 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2– ब्रह्म पाल, सदस्य (तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–04202608130001
पंजीकरण तिथिः–13.08.2026
निर्णय की तिथिः– 07.09.2026

आशा रावत, परिवादी
अमरावती कॉलौनी, फेज–02,
तल्ली बमौरी, हल्द्वानी,
जिला–नैनीताल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी (ग्रामीण)।

निर्णय

1. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है किः–"Electricity bill is very high and increasing every month since smart meter installation, despite no major change in usage. Kindly check the smart meter, readings and billing for any error and resolve the issue."

2. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया है कि शिकायतकर्ता श्रीमती आशा रावत, अमरावती कॉलोनी, फेज–02. तल्ली बमोरी, हल्द्वानी, जिला– नैनीताल के द्वारा स्मार्ट मीटर सम्बन्धी शिकाया के सम्बन्ध में अवगत कराना हैं कि उपभोक्ता का अकाउंट न०– 42400828673 अस्थायी संयोजन से सम्बंधित है जो कि वर्तमान में विच्छेदित हो चुका हैं जिसमें उपभोक्ता के रु०– 12925 का अवशेष हैं। उपभोक्ता से फोन से संपर्क करने पर उनके द्वारा स्थायी संयोजन का अकाउंट न०–42600253039 (**391E112590466**) को चेक किया गया जिसके अनुसार उपभोक्ता का बिल रीडिंग के आधार पर सही बन रहा हैं।

3. परिवादी द्वारा दिनांक 25.08.2026 को अपने आपत्ति में कहा गया है कि:– I am writing regarding my complaint bearing Complaint No. 04202608130001. I am not satisfied with the reply submitted by UPCL. A smart meter is installed at my premises. and since its installation, my electricity bills have been significantly higher and have been continuously increasing. Our household does not have a large number of high electricity-consuming appliances that would reasonably explain such high consumption.

I would also like to bring to your attention that the Consumer History submitted by UPCL shows the Smart Meter Status as "SM Not Install", whereas a smart meter is actually installed at my premises. Therefore, I request the Hon'ble Forum to kindly:

1.Verify the physical installation and functioning of the smart meter.
2. Re-check the meter readings and billing history after installation of the smart meter.
3. Clarify why the UPCL record shows "SM Not Install" despite the meter being installed.
4. Take appropriate action if any error is found in the meter or billing.
5. Provide a proper explanation of the billing and meter readings.
I am attaching my signed objection/application along with a photograph of the smart meter installed at my premises as supporting evidence.
Kindly consider my objection and take necessary action.

4. दिनांक 07.09.2026 की तिथि मंच में सुनवाई हेतु नियत की गई। परिवादी सुवाई में अनुपस्थित रहे।
5. परिवादी द्वारा दिनांक 07.09.2026 को अपने संतुष्टि पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि– "I, **Asha Rawat**, am the complainant in **Complaint No. 04202608130001** regarding Consumer **391E112590466**. I hereby request you to kindly withdraw and close my **above-mentioned complaint**, as I do not wish to pursue the matter further. I therefore request the Hon'ble Forum to kindly take my request on record and pass the necessary order for withdrawal and closure of the complaint."

6. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवादी द्वारा संतुष्टि जताते हुए शिकायत को बंद करने का अनुरोध किया गया है। अतः वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश

परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–07.09.2026

07/09/2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(ब्रह्म पाल)
सदस्य (तकनीकी)

07/09/2026

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।
दिनांकः–07.09.2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(ब्रह्म पाल)
सदस्य (तकनीकी)

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी, जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–ब्रह्म पाल, सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–04202608140001
पंजीकरण तिथि–18.08.2026
निर्णय तिथि–07.09.2026

सुरेन्द्र सिंह चगेठा परिवादी
देवलचौड़, बंदोबस्ती
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
कमलवागांजा, हल्द्वानी।।

निर्णय

1. परिवादी द्वारा CGRF, Complaint पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत प्रस्तुत करते हुये कहा गया है कि "I would like to bring to your notice an apparent error in the electricity bill issued on 12 August 2026.

Consumer Details:-

Bill No.:	**OU41600909711826**
Meter No.:	**U389828**
Bill Amount:	**Rs. 3,168**

As per the bill, the meter readings are shown as:-

Old Reading:	**6453 kWh**
Current Reading:	**6914 kWh**
Units Consumed:	**461**

However, my residence has been locked for the past several months as the entire family has been out of station. Therefore, such high consumption is not possible. To support my case, I am herewith attaching the meter reading screenshot taken on 13 August 2026 which clearly shows the meter reading as 6375 kWh. This reading is significantly lower than the billed current reading of 6914 kWh. This indicates a possible clerical or data-entry error while preparing the bill. I kindly request you to:-

1. **Verify the meter reading at the earliest.**
2. **Correct the erroneous reading in your records.**
3. **Revise and reissue the electricity bill based on the actual meter reading.**
4. **Keep any recovery action on hold until the issue is resolved.**

I am attaching the photograph of the meter showing the current reading for your reference. I shall be grateful for your prompt action in this matter."

2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 24.08.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता श्री सुरेन्द्र सिंह चगेठा, देवलचौड बन्दोबस्ती हल्द्वानी जिला–नैनीताल द्वारा बिलिंग से सम्बन्धित शिकायत दर्ज करायी गयी थी जिसके सापेक्ष उपभोक्ता का बिल संशोधित कर उक्त समस्या का निराकरण कर दिया गया है।
3. परिवादी द्वारा ईमेल के माध्यम से प्रस्तुत प्रतिउत्तर/संतुष्टि पत्र दिनांकित 31.08.2026 में कहा गया है कि "Dear Sir, As per attached doc the bill has now been corrected and no dues are reflating against my account. Since the issue has been resolved and there is no outstanding among pending from my side, I request that the case may kindly be treated as resolved and closed. Request to update my account accordingly. Thanks, you for your support and quick action ."
4. मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र के अवलोकन व परिवादी के संतुष्टि पत्र से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का निराकरण कर दिया गया है। जिस कारण वाद को आगे चलाये जाने का कोईऔचित्य नहीं है। अतः वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया जाने के व परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–07/09/2026

(हिमांशु बहुगुणा) 07/09/2026
सदस्य (उपभोक्ता)

(ब्रह्म पाल)
सदस्य (तकनीकी)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः–07/09/2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(ब्रह्म पाल)
सदस्य (तकनीकी)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरमः– 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2– ब्रह्म पाल, सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–04202608160001

पंजीकरण तिथिः–18.08.2026
निर्णय की तिथिः–05.09.2026

निशा जीना, परिवादी
धौलाखेड़ा, अर्जुनपुर हल्द्वानी,
जिला–नैनीताल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी(ग्रामीण)।

निर्णय

1. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है किः– "Past three month billing has not been done bases on actual meter reading. In June 98 unit for 280 unit, july 488 unit for 550 unit and In August 113 unit for 650 unit, at present meter reading is 29600 unit. please arrage billing accordingly."

2. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया है कि वादी के संयोजन संख्या– 40114874071 का बीजक वास्तविक रीडिंग के आधार पर संशोधित कर दिया गया है एवं सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

3. परिवादी द्वारा दिनांकित 03.09.2026 को अपने संतुष्टि पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि– **"The problem has been solved, thanks "**

4. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादी की बिलिंग से संबंधित शिकायत का निराकरण कर दिया गया है, जिस पर परिवादी ने भी अपनी संतुष्टि मंच के समक्ष व्यक्त की है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने एवं परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–05.09.2026

(हिमांशु बहुगुणा)	(ब्रह्म पाल)	(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।
दिनांकः–05.09.2026

(हिमांशु बहुगुणा)	(ब्रह्म पाल)	(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरमः– 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2– ब्रह्म पाल, सदस्य (तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–04202608160002
पंजीकरण तिथिः–18.08.2026
निर्णय की तिथिः–07.09.2026

मीना जनी, परिवादी
सेजस ओमकार सिटी,
जयदेवपुर, आर0टी0ओ0 रोड़,
हल्द्वानी, जिला–नैनीताल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
कमलवागांजा हल्द्वानी।

निर्णय

1. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है किः–"Meter replaced on 04-Jun-2026 (old: E61071719, final reading 38,081; new bidirectional: SS18491358). Last bill is May-2026. No bill since replacement. Please update meter/net-metering records and issue pending bill."

2. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया कि शिकायतकर्ता श्रीमती मीना जी द्वारा बिलिंग सम्बन्धी शिकायत के सापेक्ष अवगत कराना हैं कि उपभोक्ता की सोलर सीलिंग अपडेट कर बिल भी बना दिया गया हैं।

3. दिनांक 07.09.2026 को मंच में सुनवाई हेतु उभय पक्षों को नोटिस जारी किया गया। नोटिस के साथ परिवादी को विपक्षी की आख्या भी प्रेषित की गई। परिवारी को विपक्षी की आख्या पर संतुष्टि/आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर भी प्रदान किया गया। परिवादी ने ना तो मंच में संतुष्टि प्रस्तुत की और ना ही आपत्ति/परिवादी सुनवाई में भी अनुपस्थित रहे।

4. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवादी की बिलिंग संबंधी शिकायत का निराकरण विपक्षी द्वारा कर दिया गया है। प्रमाण स्वरूप बिल की प्रति भी संलग्न की है। अतः विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरुप वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरुप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–07.09.2026

07/09/2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(ब्रह्म पाल)
सदस्य (तकनीकी)

07/09/2026

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।
दिनांकः–07.09.2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(ब्रह्म पाल)
सदस्य (तकनीकी)

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनी ताल

कोरमः– 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2– ब्रह्म पाल, सदस्य (तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–04202608180001
पंजीकरण तिथिः–19.08.2026
निर्णय की तिथिः–22.09.2026

मुकुल त्रिपाठी, परिवादी
रामेशपुरम् तल्ली बमौरी,
लालडाट रोड़, हल्द्वानी,
जिला–नैनीताल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी(ग्रामीण)।

निर्णय

1. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है किः–"Complaint regarding non-adjustment of solar units/net-metering credits and issuance of electricity bills every month"

2. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया कि शिकायतकर्ता श्री मुकुल त्रिपाठी द्वारा बिलिंग सम्बन्धी शिकायत के सापेक्ष अवगत कराना हैं कि उपभोक्ता की सोलर सीलिंग अपडेट होने के पश्चात बिल में Export Unit का समायोजन होना शुरू हो गया हैं एवं अगले बिल में उपभोक्ता का पुराना Export Unit का समायोजन भी कर दिया जायेगा।

3. विपक्षी/विभाग द्वारा दिनांकित 14.09.2026 को आख्या में कहा गया है कि शिकायतकर्ता श्री मुकुल त्रिपाठी द्वारा बिलिंग सम्बन्धी शिकायत के सापेक्ष अवगत कराना हैं कि उपभोक्ता का विद्युत बिल संशोधित कर दिया गया हैं जिसमें उपभोक्ता का रु० 17176.00 का बिल कम कर दिया गया हैं तथा रु० 1270.00 का बिल जमा होना हैं।

4. मंच द्वारा दिनांक 22.09.2026 को सुनवाई हेतु उभय पक्षो को नोटिस जारी किया गया। सुनवाई हेतु विपक्षी/विभाग (एसडीओ) मंच में उपस्थित। परिवादी अनुपस्थित। विपक्षी/विभाग के तर्कों को सुना गया। विपक्षी/विभाग द्वारा उपभोक्ता के विद्युत बिल संबंधित शिकायत को संशोधित करते हुए उपभोक्ता का बिल रुपए 1270.00 कर दिया गया है। विपक्षी/विभाग द्वारा उपभोक्ता की मूल शिकायत के समाधान कर दिए जाने के पश्चात वाद को आगे चलने का कोई औचित्य नहीं है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–22.09.2026

22/09/2026
(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(ब्रह्म पाल)
सदस्य (तकनीकी)

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।
दिनांकः–22.09.2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(ब्रह्म पाल)
सदस्य (तकनीकी)

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी, जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–ब्रह्म पाल, सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–04202608210001
पंजीकरण तिथि–22.08.2026
निर्णय तिथि–22.09.2026

विनीता पान्डेय
मानस विहार
बिठौरिया नं0–01
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
कमलवागांजा, हल्द्वानी।

विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायत पत्र में कहा गया है कि "**I havent't received the bill notification after the month of April neither online nor offline.**"
2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 05.09.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता के मापक की रीडिंग ले ली गयी है, सिस्टम में बिलिंग एप्लीकेशन नहीं खुलने के कारण मंच में निवेदन है कि बिल बनाने हेतु एक सप्ताह का समय देने की कृपा करें।
3. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 14.09.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता का विद्युत बिल बना दिया गया है जो कि रू0 –1081 का बना है।
4. दिनांक 22.09.2026 को विपक्षी/विभाग मंच में उपस्थित विपक्षी को उपभोक्ता की शिकायत हेतु सुना गया।
5. मंच द्वारा पत्रावली का सम्यक् रुप से परिशीलन किया गया। विपक्षी द्वारा परिवादी की–बिलिंग सम्बन्धी शिकायत का समाधान करते हुये उपभोक्ता का विद्युत बिल रु० –1081 बना दिया है, उपभोक्ता की मूल शिकायत के समाधान हो जाने के फलस्वरुप वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है।

आदेश

विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत के समाधान कर दिए जाने के फलस्वरुप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत

ओम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः—22/09/2026

22/09/2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(ब्रह्म पाल)
सदस्य (तकनीकी)

22/09/2026

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः—22/09/2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(ब्रह्म पाल)
सदस्य (तकनीकी)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी, जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–ब्रह्म पाल, सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–04202608240001
पंजीकरण तिथि–24.08.2026
निर्णय तिथि–22.09.2026

भुवन चंद्र जोशी
पीपल पोखरा नंबर–2
फतेहपुर, हल्द्वानी
जिला–नैनीताल।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
कमलवागांजा, हल्द्वानी।

विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र में कहा गया है कि प्रार्थी उपभोक्ता संख्या–391KSO1165466 का विद्युत् उपभोक्ता है प्रार्थी के परिसर में स्थापित सोलर संयंत्र के लिए दिनांक 25.11.2024 को पुराना विद्युत् मीटर हटाकर नया मीटर स्थापित किया गया इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा विधिवत सीलिंग प्रमाण पत्र भी जारी किया गया। महोदय माह नवम्बर 2024 से माह फरवरी 2026 तक विद्युत् उपभोक्ता बिल हमेशा माइनस में ही आता रहा। अतिरिक्त विद्युत् उत्पादन के लिए विभाग द्वारा पैसे वापस भी आए हैं किन्तु अचानक दिनांक 11.03.2026 से 09.04.2026 और 09.04.2026 से 13.05.2026 में विद्युत् बिल क्रमशः ₹21248/– और ₹5524/– का आ गया। उक्त गलत बिल के सम्बन्ध में कमलुवागांजा कार्यालय में लिखित शिकायत दर्ज की गयी जिसकी रसीद प्राप्त की गयी शिकायत करने के पश्चात् भी विभाग द्वारा चैक मीटर 01.07.2026 को लगाया गया पर उसकी रिपोर्ट अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गयी।

महोदय सोलर लगने के पहले व बाद उस मकान में केवल प्रार्थी व उसकी पत्नी ही अधिकतर रहते हैं कोई अतिरिक्त विद्युत् के उपभोग की आवश्यकता नहीं पड़ी है। चूंकि प्रार्थी सेवा से निवृत्त हैं और आय का कोई साधन नहीं है। मीटर रीडिंग सम्बन्धी आपत्ति विभाग के संज्ञान में लाई जा चुकी है लेकिन अभी तक विभाग द्वारा कोई उचित समाधान नहीं किया जा सका है।

अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि मामले की शीघ्र जांच कराकर मीटर रीडिंग एवं बिलिंग सम्बन्धी त्रुटियों का निराकरण कराने तथा वास्तविक खपत के अनुसार संशोधित

विद्युत् बिल जारी करने हेतु सम्बंधित अधिकारीयों को आवश्यक निर्देश प्रदान करने की कृपा करें।

2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 05.09.2026 में कहा गया है कि शिकायकर्ता श्री भुवन चन्द्र जोशी(अकाउंट नं0–41900064037) द्वारा बिलिंग संबंधी शिकायत कि सापेक्ष अवगत कराना है कि उपभोक्ता का बिल रीडिंग के अनुसार बना है।
3. पत्रावली प्रस्तुत हुई। दिनांक 07.09.2026 को उभय पक्ष मंच के समक्ष उपस्थित हुये। मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया गया कि परिवादी के मीटर की MRI कर (संबंधित माह) विस्तृत रिपोर्ट व चैक मापक फाईनल रिपोर्ट दिनांक 19.09.2026 तक मंच में प्रस्तुत करे।
4. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 16.09.2026 में कहा गया है कि शिकायत (Case No.04202608240001) के अनुपालन में आपके द्वारा दिए गए निर्देशानुसार शिकायतकर्ता श्री भुवन चन्द्र जोशी(अकाउंट नं0–41900064037) के मीटर की MRI रिपोर्ट संलग्न कर प्रस्तुत की जा रही है।
5. मंच द्वारा वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 22.09.2026 की तिथि नियत की गयी। सुनवाई हेतु विभागीय प्रतिनिधि (SDO) उपस्थित हुये जबकि परिवादी अनुपस्थित रहे। विपक्षी के तर्क सुने गये। विपक्षी द्वारा कहा गया कि परिवादी के बिल MRI के आधार पर ही बने हैं, जो कि वास्तविक हैं जिनकी पुष्टि MRI रिपोर्ट के आधार पर भी होती है।
6. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवादी के बिल उसके मीटर की खपत के आधार पर ही मीटर रीडिंग के अनुरुप बने हैं, जिसकी पुष्टि MRI रिपोर्ट से हो जाती है। अतः वास्तविक खपत के आधार पर बने बिलों को संशोधित करने का अधिकार इस मंच के पास नहीं है। अतः वाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–22/09/2026

22/09/2026 | 22/09/2026

(हिमांशु बहुगुणा)	(ब्रह्म पाल)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः–22/09/2026

(हिमांशु बहुगुणा)	(ब्रह्म पाल)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL FORUM
KUMAOUN ZONE, HALDWANI

Case No.:042026090400001

Shri/Smt. Janki Rawat, **V/S** **Executive Engineer..Haldwani(R)**

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next Date
	07/09/2026	**आदेश** पत्रावली प्रस्तुत। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में उल्लेख किया है कि **"Sir, my domestic electricity connection is registered in my wife's name but I want this connection to be registered in my name because I want to install a 3kva solar unit for which I am facing difficulty in getting a loan from the Bank. Please make t"** मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्युत संयोजन में नाम परिवर्तन हेतु संबंधित उपखंड कार्यालय में वांछित प्रपत्रों के साथ आवेदन किया जाना आवश्यक है। परिवादी नाम परिवर्तन हेतु उपखंड कार्यालय में आवेदन कर सकता है। अतः मंच में यह शिकायत खारिज की जाती है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। 07/09/2026 (हिमांशु बहुगुणा) सदस्य (उपभोक्ता) (ब्रह्म पाल) सदस्य (तकनीकी) 07/09/2026 (बिष्णु प्रसाद डोभाल) सदस्य (न्यायिक)	**Disposed of**

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी, जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–ब्रह्म पाल, सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–04202609080001
पंजीकरण तिथि–09.09.2026
निर्णय तिथि–21.09.2026

माया पाण्डे
पत्नी रमेश चन्द्र पाण्डे
बिष्ट धड़ा, देवभूमि एनक्लेव
बिठौरिया नं0–01, हल्द्वानी
जिला–नैनीताल। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
कमलवागांजा, हल्द्वानी। विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा CGRF, Complaint पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत प्रस्तुत करते हुये कहा गया है कि " सविनय निवेदन है कि श्रीमती माया पाण्डे, पत्नी श्री रमेश चंद्र पाण्डे, के विद्युत संयोजन संख्या–392E122390373 एवं खाता संख्या–42000195035 के संबंध में दिनांक 13.08.2026 को ₹51,057 का विद्युत बिल प्राप्त हुआ, जिसमें 6338 यूनिट की खपत दर्शाई गई है। उक्त खपत पूर्व की मासिक खपत की तुलना में अत्यधिक एवं असामान्य है, जबकि पूर्व में मासिक खपत लगभग 289 से 850 यूनिट के बीच रही है।

उक्त असामान्य बिल के संबंध में दिनांक 13.08.2026 को ही UPCL Consumer App पर Bill Revision हेतु शिकायत दर्ज की गई, जिसकी Registration No- 21308261264 है तथा जिसकी स्थिति वर्तमान में "IN PROCESS" प्रदर्शित हो रही है। इसके अतिरिक्त दिनांक 13.08.2026 को CM Helpline Portal पर भी शिकायत दर्ज की दिनांक 31.08.2026 तक लगभग 18 दिन बीतने के बाद भी वास्तविक मीटर रीडिंग का मौके पर सत्यापन नहीं किया गया और केवल बिल में दर्ज रीडिंग के आधार पर बिल को सही बता दिया गया। इसके पश्चात मीटर के निरीक्षण एवं MRI की जाँच के निर्देश दिए गए।

दर्ज शिकायत के क्रम में दिनांक 04.09.2026 को संबंधित SDO महोदय द्वारा लाइनमैन को मौके पर भेजकर मीटर की वास्तविक अद्यतन रीडिंग प्राप्त करवाई गई। मौके पर प्राप्त वास्तविक रीडिंग बिल में पूर्व में दर्ज 27711 की रीडिंग से कम थी।

उक्त लाइनमैन द्वारा मुझे दूरभाष पर बताया गया कि पूर्व में मीटर रीडिंग लेने वाले मीटर रीडर द्वारा मीटर की रीडिंग गलत दर्ज की गई थी, जिसके कारण 6338 यूनिट की असामान्य खपत का बिल बन गया। दिनांक 05.09.2026 को पोर्टल पर नया बिल प्रदर्शित हुआ, जिसमें पिछली रीडिंग 27711, वर्तमान रीडिंग 27711 तथा खपत 0 यूनिट दर्शाई गई है। हालांकि पूर्व के विवादित बिल की राशि अभी भी बकाया के रूप में प्रदर्शित हो रही है तथा Late Payment Surcharge भी जुड़ा हुआ है। अतः बिल संशोधन की प्रक्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई है। संबंधित SDO महोदय से दूरभाष पर हुई वार्ता में पहले सोमवार तक बिल सही किए जाने की बात कही गई थी। तत्पश्चात पुनः वार्ता करने पर बताया गया कि आवश्यक संशोधन में 3–4 दिन का अतिरिक्त समय लगेगा।

उक्त ₹51,057 की असामान्य एवं अत्यधिक राशि का विद्युत बिल प्राप्त होने तथा उसके अभी तक पूर्ण रूप से संशोधित न होने के कारण मुझे निरंतर मानसिक परेशानी एवं आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। एक सामान्य मध्यमवर्गीय परिवार के लिए इतनी बड़ी एवं वास्तविक खपत से असंगत राशि का भार अत्यंत कठिन है।

अतः माननीय फोरम से विनम्र अनुरोध है कि कृपापूर्वक पूर्व मीटर रीडिंग, मौके पर प्राप्त वास्तविक रीडिंग, रीडिंग हिस्ट्री, MRI रिकॉर्ड तथा संबंधित बिलिंग रिकॉर्ड का समुचित सत्यापन एवं मिलान करने की कृपा की जाए, ताकि 6338 यूनिट की असामान्य खपत का वास्तविक आधार स्पष्ट हो सके तथा आवश्यकतानुसार बिल को वास्तविक खपत के अनुसार संशोधित कर सही बिल जारी किया जा सके। साथ ही, चूंकि उक्त समस्या UPCL स्तर पर मीटर रीडिंग दर्ज किए जाने में हुई त्रुटि के कारण उत्पन्न हुई है तथा Bill Revision की शिकायत अभी "IN PROCESS" है, अतः विवाद के निस्तारण तक उपभोक्ता पर Late Payment Surcharge, penalty, interest अथवा कोई अन्य अतिरिक्त अधिभार न लगाया जाए। यदि विवादित बिल के कारण ऐसी कोई राशि पहले ही जोड़ दी गई हो तो उसे निरस्त/समायोजित करने की कृपा की जाए। सही बिल जारी होने तक विद्युत विच्छेदन जैसी कोई दंडात्मक कार्रवाई न किए जाने का भी अनुरोध है।

माननीय फोरम से सादर अनुरोध है कि प्रकरण की वास्तविक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता को वास्तविक खपत के अनुसार संशोधित एवं सही विद्युत बिल उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।"

2. परिवादी द्वारा ईमेल के माध्यम से प्रस्तुत प्रतिउत्तर/संतुष्टि पत्र दिनांकित 10.0..2026 में कहा गया है कि " सविनय निवेदन है कि उपभोक्ता श्रीमती माया पाण्डे, खाता संख्या 42000195035, कनेक्शन संख्या 392E122390373 के विद्युत कनेक्शन के संबंध में दिनांक 13.08.2026 को गलत मीटर रीडिंग के आधार पर 6338 यूनिट की असामान्य खपत दर्शाते हुए ₹ 51,057/– का अत्यधिक विद्यतु बिल जारी किया गया था। उक्त बिल के संबंध में मेरे द्वारा शिकायत प्रस्तुत की गई थी। उक्त शिकायत का प्रकरण संख्या–04202609080001 है।

वर्तमान में UPCL द्वारा उक्त विद्युत बिल को संशोधित करते हुए संशोधित बिल संख्या–28469260908000007, दिनांक 05.09.2026 जारी किया गया है, जो मुझे दिनांक 08.09.2026 को ऑनलाईन प्राप्त हुआ है। संशोधित बिल में 24.06.2026 से 04.09.2026 की अवधि के लिए मीटर रीडिंग 20988 से 21976 तथा कुल 988 यूनिट दशाई गई हैं। उक्त 988 यूनिट में पूर्व में बिल की जा चुकी खपत का भी समायोजन किया गया

है। संशोधित बिल की देय राशि ₹4,639/– का भुगतान मेरे द्वारा दिनांक 08.09.2026 को कर दिया गया है। उक्त भुगतान की UPCL द्वारा पुष्टि प्राप्त हो गई है तथा भुगतान/रसीद संख्या BD016251BAMAAAN4L500 है। उक्त संशोधित बिल जारी किये जाने एवं देय राशि का भुगतान किए जाने के उपरांत अब मैं UPCL द्वारा की गई कायतवाही से सतुंष्ट हूँ तथा इस संबंध में मेरी ओर से कोई अन्य शिकायत शेष नहीं है। अतः माननीय फोरम से सादर अनुरोध है कि मेरी शिकायत को निस्तारित करने की कृपा करें।"

3. मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों का अवलोकन किया गया। [redacted] परिवादी के संतुष्टि पत्र से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का निराकरण कर दिया गया है। जिस कारण वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के व परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः– 21/09/2026

(हिमांशु बहुगुणा)	(ब्रह्म पाल)	(विष्णु प्रसाद डोभाल) 21/09/2026
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः–21/09/2026

(हिमांशु बहुगुणा)	(ब्रह्म पाल)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता षिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी, जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–ब्रह्म पाल, सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–04202609090001
पंजीकरण तिथि–10.09.2026
निर्णय तिथि–21.09.2026

उषा आर्या
आन सिंह रामड़ी
मंगला विहार, कटघरिया
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
कमलवागांजा, हल्द्वानी।

विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा CGRF, Complaint पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत प्रस्तुत करते हुये कहा गया है कि "**No electricity give last three days. Today visited electricity office katghariya to lodge the issue. But no personal visited home to rectify issue. Please look into the issue at the earliest as it is difficult to live without electricity in humidi.**"
2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 18.09.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता से वार्ता करने पर बताया गया कि उसकी समस्या का समाधान हो गया है तथा वर्तमान में विद्युत आपूर्ति सुचारू है।
3. परिवादी द्वारा दिनांक 21.09.2026 को दूरभाष के माध्यम से मंच कार्यालय को अवगत कराया गया कि विपक्षी/विभाग द्वारा उसकी समस्या का समाधान कर दिया गया है। अतः उसके वाद की कार्यवाही समाप्त कर दी जाये।
4. मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध स /अभिलेखों का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र के अवलोकन व परिवादी की संतुष्टि (दूरभाष के माध्यम से) से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का निराकरण कर दिया गया है। जिस कारण वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने व परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–21 / 09 / 2026

21/09/2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(ब्रह्म पाल)
सदस्य (तकनीकी)

21/09/2026

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः–21 / 09 / 2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(ब्रह्म पाल)
सदस्य (तकनीकी)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी, जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–ब्रह्म पाल, सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–04202609090002
पंजीकरण तिथि–10.09.2026
निर्णय तिथि–21.09.2026

अंजलि कौल
बिजरौली गांव
नौकुचियाताल
भीमताल
जिला–नैनीताल।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
नैनीताल।

विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा CGRF, Complaint पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत प्रस्तुत करते हुये कहा गया है कि " Meter Reading ."
2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 18.09.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता के परिसर पर लगे दिनांक 15.09.2026 को मापक बदल दिया गया है जिसमें पुराने मापक का डिस्पले जला पाया गया था। सीलिंग प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित।
3. परिवादी द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से प्रस्तुत प्रतिउत्तर/संतुष्टि पत्र दिनांकित 18.09.2026 में कहा गया है कि "PUC is regarding the meter complaint
Consumer no : 5909999457215
Complain no : 22306260243
A complaint was registered on the portal to change the meter as it was not readable. On 16th September 2026 it was resolved and the said meter is changed. Hope it runs well."
4. मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र के अवलोकन व परिवादी के संतुष्टि पत्र (दिनांक 18.09.2026) से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का निराकरण कर दिया गया है। जिस कारण वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने व परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–21 / 09 / 2026

21/09/2026
(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(ब्रह्म पाल)
सदस्य (तकनीकी)

21/09/26
(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः–21 / 09 / 2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(ब्रह्म पाल)
सदस्य (तकनीकी)

21/09/26
(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरमः– 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2– ब्रह्म पाल, सदस्य (तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–04202609120001
पंजीकरण तिथिः–14.09.2026
निर्णय की तिथिः–22.09.2026

सुष्मा गोस्वामी पत्नी वीरेद्र गिरि, परिवादी
पोस्ट– कठगरिया, हल्द्वानी,
जिला–नैनीताल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी(ग्रामीण)।

निर्णय

1. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है किः– खाता 42000835778 में पुराना बकाया ₹2279.64 गलत है। मासिक यूनिट्स में भारी उतार–चढ़ाव (मई–26ः– 1923, जून–26ः–336, अक्टू–25ः 4700) दिख रहा है जो मीटर रीडिंग एरर लगता है। कृपया रीडिंग जांच करे बकाया सुधार करें।

2. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया है कि शिकायतकर्ता श्रीमती सुष्मा गोस्वामी (संयोजन संख्या–**392K204333007**) द्वारा बिलिंग से सम्बन्धी शिकायत के सापेक्ष अवगत कराना हैं कि उपभोक्ता का बिल रीडिंग के अनुसार सही बना हैं।

3. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्ष द्वारा अपनी आख्या के साथ परिवादी की विस्तृत कंज्यूमर हिस्ट्री भी प्रस्तुत की गई, जिसका मंच ने गहनता से अवलोकन किया। परिवादी ने अपनी शिकायत में अक्टूबर 2025 में 4700 यूनिट खपत, मई 2026 में 1923 यूनिट खपत एवं जून 2026 में 336 यूनिट खपत की असमानता का उल्लेख किया है। हिस्ट्री से स्पष्ट है कि 15मई 2025 को परिवादी का मीटर बदल गया तब पुराने मीटर की रीडिंग 11828 थी। इस तिथि के बाद बने आसमान्य खपत के सभी बिलों को विपक्षी ने जून 2026 में संशोधित करते हुए 22237.94 रुपए का समायोजन प्रदान किया है। बिल हिस्ट्री से स्पष्ट है कि विपक्षी ने सितंबर 2026 तक वास्तविक मीटर

रीडिंग के बिल बना दिये हैं, जिनमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। विपक्षी द्वारा परिवादी के असामान्य बिलों का समायोजन जून 2026 में ही प्रदान कर दिया गया था। अतः वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान पूर्व में ही कर दिए जाने के फलस्वरुप वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–22.09.2026

22/09/2026
(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

22/09/2026
(ब्रह्म पाल)
सदस्य (तकनीकी)

22/09/2026
(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांक, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।
दिनांकः–22.09.2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(ब्रह्म पाल)
सदस्य (तकनीकी)

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

Ele. CONSUMERS GRIEVANCES REDRESSAL FORUM
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Kumaon Zone, Haldwani

वाद संख्या (Case No.)-04202609150002
शिकायतकर्ता(Complainant)-प्रकाश सिंह भंडारी
विपक्षी(Respondent)-हल्द्वानी(ग्रामीण)

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next Date
	15.09.2026	मंच के समक्ष यह मामला विचारार्थ आया। अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि यह शिकायत उपभोक्ता द्वारा ईमेल के माध्यम से भेजी गई है और जिसे पंजीकृत किया जा चुका है। इसके साथ ही, उपभोक्ता ने इसी समान मामले को मंच के ऑनलाइन पोर्टल पर भी दर्ज कर दिया है। चूंकि उपभोक्ता द्वारा यह शिकायत मूल रूप से ईमेल के माध्यम से भेजी गई है और दोनों शिकायतों की विषय–वस्तु पूर्णतः एक समान है, अतः एक ही मामले पर दोहरे पंजीकरण के कारण अलग–अलग कार्यवाही चलाया जाना आवश्यक नहीं है। ईमेल से प्राप्त शिकायत पर मुख्य कार्यवाही जारी रहेगी। अतः इस ऑनलाइन पोर्टल वाले केस की कार्यवाही को यहीं समाप्त (Closed as Duplicate) किया जाता है और फाइल को नस्तीबद्ध किया जाए। 15-09-2026 सदस्य (उपभोक्ता) वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी 15/09/2026 सदस्य (तकनीकी) वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी 15/09/2026 सदस्य (न्यायिक) वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी	निस्तारित